भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन मार्गदर्शिका

© Wildlife Institute of India, 2019

Published By
Wildlife Institute of India (WII)
P.O. Box 18, Chandrabani,
Dehradun 248001,
Uttarakhand, India
Ph: +91 135 2646263
Fax: +91 135 2640117
Website: https://www.wii.gov.in

Citation
Badola Ruchi; Khanduri Hemlata; Dev Aditi; Tripathi Ravindra Nath; Dobriyal Pariva; Hussain S.A. (2019) Village Level Microplanning for Ganga Biodiversity Conservation: A Guideline. Wildlife Institute of India, Dehradun. pp

ISBN - 81-85496-46-3

Design &Layout : Vidushi Lakhera
Picture Credits : Pariva Dobriyal

जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन मार्गदर्शिका

सम्पादन

रूचि बडोला
हेमलता खण्डूड़ी
अदिति देव
रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी
परिवा डोबरियाल
एस0 ए0 हुसैन

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

विषय – वस्तु

- प्रस्तावना
- सूक्ष्म नियोजन और जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम
- परिचय एवं पृष्ठभूमि

1. गंगा नदी का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक महत्व
2. गंगा की जैव विविधता एवं उसकी चुनौतियां
3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय वन्य जीव संस्थान तथा जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम
4. जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन

- ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन के उद्देश्य

1. जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम की सततता **(Sustainability)** को सुनिश्चित करना
2. कार्यक्रम को दिशा प्रदान करना
3. कार्यकुशलता में वृद्धि करना
4. प्राकृतिक, मानवीय व वित्तीय संसाधनों का सही प्रयोग
5. जोखिम एवं सम्भावनाओं को परखना
6. लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग
7. समुदाय आधारित संगठनों का सशक्तिकरण अथवा नये संगठनों का निर्माण

- जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन की रूपरेखा

अध्याय – 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम पंचायत की अवस्थिति

अध्याय – 2 ग्राम पंचायत की जानकारी

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय का विवरण
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति
2.7 कृषि एवं पशुपालन

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुंच एवं संचार के साधनों व अन्य संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास प्राकृतिक संसाधन एवं जैव विविधता का विवरण

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता का विवरण

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

अध्याय – 3 हितधारकों की पहचान

3.1 जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम में हितधारकों की भूमिका एवं महत्व

3.2 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

अध्याय – 4 समस्या की पहचान एवं विश्लेषण

अध्याय – 5 नियोजन के उद्‌देश्य

5.1 नियोजन के उद्‌देश्य

5.2 नियोजन की प्रकिया

अध्याय – 6 जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय नियोजन एवं रणनीति

6.1 उद्‌देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियां तथा रणनीति

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थायें व उनका योगदान

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां

6.1.5 वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जा स्रोत

6.1.6 जैव विविधता संरक्षण

6.1.7 कृषि विकास

6.1.8 पशुपालन

6.1.9 मत्स्य पालन

6.2. रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

6.2.1 स्थानीय स्तर पर

6.2.2 क्षेत्र स्तर पर

6.2.3 अन्तर्क्षेत्रीय स्तर पर

6.2.4 रेखीय समन्वयन

अध्याय 7 – जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म नियोजन के विभिन्न चरण

7.1 द्वितीयक आंकड़ों को संकलित करना
7.2 समुदाय के साथ मिलकर योजना बनाना
7.2.1 समुदाय में एन्ट्री प्वाइंट एक्टिविटी का चयन
7.2.2 नियोजन हेतु समूह (टीम) का गठन
7.2.3 सुगमकर्ता का चयन
7.2.4 सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन गतिविधि
7.2.5 ग्राम स्तरीय नियोजन के समय ध्यान में रखने वाले बिंदु
7.3 प्रस्तावित गतिविधियों का व्यवहार्यता (**feasibility**) विश्लेषण
7.4 सहमत गतिविधियों का विवरण
7.5 ड्राफ्ट योजना तैयार करना
7.6 योजना को अंतिम रूप देना

अध्याय 8 – वित्तीय आवश्यकता एवं अन्य विवरण

8.1 वित्तीय आवश्यकता (बजट)
8.2 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन
8.3 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व
8.4 विवाद का निपटारा
8.5 अभिलेखों का रखरखाव
8.6 सफलता के सूचक/मानक
8.7 अनुलग्नक

अनुलग्नक 1 – जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र
अनुलग्नक 2 – पी०आर०ए० गतिविधियां
अनुलग्नक 3 – विभिन्न रेखीय विभागों/योजनाओं का विवरण
अनुलग्नक 4 – जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास हेतु ग्राम स्तरीय नियोजन प्रपत्र
अनुलग्नक 5 – रणनीतिक योजनाओं के प्रभाव के आकलन हेतु सूचक

आभार

जैव विविधिता एवं गंगा संरक्षण परियोजना के लिए ग्राम स्तरीय सक्ष्म नियोजन मार्गदर्शिका का निर्माण करने के लिए हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी) के आभारी है जिनके सहयोग से हमें ये अवसर प्रदान किया। हम निदेशक एवं डीन, भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा दिये गये सहयोग हेतु उनके आभारी है। इस कार्य के लिये अपना सहयोग तथा अमलूय समय देने के लिये हम डा0 बी0 के0 मिश्रा एवं डा0 ए0 के0 भारद्वाज के आभारी हैं। हम विशेष रुप से आभारी हैं वन विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन, विभिन्न रेखीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं उन व्यक्तियों के जिन्होंने ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन मार्गदर्शिका को अंतिम रूप देने हेतु 06 मार्च 2018 को आयोजित कार्यशाला में अपना अमूल्य समय एवं सुझाव प्रदान किये। हम अपने सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग के बिना ये कार्य सम्भव नहीं था।

रूचि बडोला

हेमलता खण्डूड़ी

अदिति देव

रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी

परिवा डोबरियाल

एस0 ए0 हुसैन

प्रस्तावना

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता संरक्षण की योजनाओं के निर्माण में सूक्ष्म नियोजन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से स्थानीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास/परियोजना के लाभ सभी स्थानीय निवासियों तक पहुंचे, सामाजिक–आर्थिक विषमता में कमी आये एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो।

भारत में सूक्ष्म नियोजन की अवधारणा का विकास राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियोजन एवं विकास के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु हुआ है। नीति निर्धारकों को इस बात का एहसास हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई एकरूप नीतियों से स्थानीय स्तर पर विकास संभव नहीं है क्योंकि हर क्षेत्र विशेष की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियां, संसाधन तथा आवश्यकतायें आदि अलग अलग है। एक अच्छी स्थानीय योजना में इन सभी के साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं व संसाधनों (बजट इत्यादि) का ध्यान भी रखा जाना चाहिये और ये भी देखा जाना चाहिये कि योजना राष्ट्रीय स्तर की नीतियों व लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो।

भारत में पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय नियोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार क्षेत्रीय विषमताओं को देखते हुये क्षेत्रीय नियोजन की ओर ध्यान दिया गया परंतु उपयुक्त राष्ट्रीय नीति न होने के कारण इसे वास्तविक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। चौथी पंचवर्षीय योजना में यह देखा गया कि कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हो रहे हैं और समुदाय में भी वे लोग ही उन्नति कर रहे हैं जिनके पास पहले से ही कुछ संसाधन हैं, जबकि जनसंख्या का एक बड़ा भाग आर्थिक विकास की प्रक्रिया से दूर है। इन क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिये ही सूक्ष्म नियोजन पर बल दिया गया। इसलिये चौथी पंचवर्षीय योजना में नियोजन को क्षेत्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन को अनिवार्य किया गया। जिसके बाद ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत स्तर पर नियोजन कर उसे एकीकृत रूप से जिला योजना के रूप में तैयार किया जा रहा है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन नीति 1988 में स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। जिसके बाद वर्ष 1990 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों के संयुक्त प्रबन्धन एवं संसाधनों के वितरण हेतु संयुक्त वन प्रबन्धन योजना शुरू की गई व उसके बाद से वनों एवं उससे संबंधित संसाधनों के प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय का सहयोग सुनिश्चित किया जाने लगा। भारत में पारिस्थितिकीय विकास (Ecodevelopment) की संकल्पना आरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय की निर्भरता को देखते हुये आयी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही संरक्षित क्षेत्र व उसके आसपास रहने वाले समुदायों का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। जिसके लिये संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों को मृदा संरक्षण, वनीकरण, लघु सिंचाई, चारा विकास, उन्नत कृषि तकनीकों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि से जोड़कर उनकी प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है।

सूक्ष्म नियोजन और जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम

परिचय एवं पृष्ठभूमि

गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। यह अपनी पूरी यात्रा के दौरान कई सहायक नदियों से मिलकर भारत के विशाल समतल मैदान (Gangetic plains) का निर्माण करती है। गंगा सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था ही नहीं आजीविका का भी साधन है। देश की लगभग आधी आबादी गंगा के किनारे बसी है। जो अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक–धार्मिक आस्था, खाद्यान्न, सिंचाई, बिजली, पानी, उद्योग, परिवहन आदि के लिये गंगा पर निर्भर है।

1. गंगा नदी का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक महत्व

भारतीय सभ्यता में गंगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में गंगाजल का उपयोग किया जाता है। गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है और शुभ कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। गंगा नदी के घाटों पर लोग पूजा–अर्चना और ध्यान करते हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत से तीर्थ स्थल हैं जिसमें वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग आदि प्रमुख हैं। गंगा से अनेक पर्वों और उत्सवों का सीधा संबंध है, विभिन्न मेलों का आयोजन इसके तटों पर किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा, माघ मेला, कुम्भ मेला आदि प्रमुख हैं।

गंगा से भारत की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण भाग प्रभावित होता है। इसके तट पर उपजाऊ कृषि के मैदान हैं जिन पर मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं की खेती की जाती है जो भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण भाग है। गंगा के जल के द्वारा कई एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है।

गंगा के ऊपर बने बांधों से उत्पादित बिजली, उस पर बने पुलों एवं जलमार्ग से यातायात और व्यापार तथा पर्यटन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। मत्स्य उद्योग भी गंगा नदी पर आधारित आजीविका का प्रमुख स्रोत है। गंगा नदी व उसके किनारे बसे शहर व मंदिर धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पर

आते हैं। धार्मिक पर्यटन इसके किनारे बसे शहरों के निवासियों को आजीविका के स्रोत प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त रोमांच हेतु यहां आने वाले पर्यटकों के लिये भी इसकी प्राकृतिक सौंदर्य से भरी नदी घाटियां, रिवर राफ्टिंग आदि गतिविधियां आकर्षण का केन्द्र हैं।

2. गंगा की जैव विविधता एवं उसकी चुनौतियां

गंगा नदी वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की 25000 से अधिक प्रजातियों को पोषित करती है और 50 करोड़ से अधिक आबादी के लिये जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। गंगा बेसिन कई प्रजातियों की विस्तृत विविधता का घर है। गंगा में असंख्य जीव जन्तुओं का निवास स्थान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार गंगा नदी लगभग 2000 जलीय जीव प्रजातियों का निवास स्थान है। इन प्रजातियों में से कई प्रजातियां केवल गंगा में ही पाई जाती हैं। गंगा में डॉल्फिन की एक प्रजाति, ऊदबिलाव की तीन प्रजातियां, गंभीर रूप से लुप्तप्राय मगरमच्छ की तीन प्रजातियां, कछुए की 13 प्रजातियां, मछलियों की अनेक प्रजातियों के साथ ही केकड़ों की भी अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जलीय पक्षियों की अनेकों प्रजातियां तथा गंगा बेसिन में प्रवास एवं प्रजनन हेतु आने वाले पक्षी शामिल हैं। गंगा में जीव जंतुओं का पाया जाना और उनकी संख्या एक स्वस्थ पारिस्थिकीय तन्त्र को दर्शाता है। ये जीव गंगा को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं साथ ही लाखों लोगों के लिये आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराते हैं।

विभिन्न कारणों से आज गंगा को प्रदूषण संबंधी भारी दबावों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले दशकों में गंगा नदी के बेसिन में जनसंख्या की लगातार वृद्धि के कारण कृषि के विस्तार, औद्योगीकरण, सिचांई, उद्योग एवं पेयजल के लिये गंगा के पानी का अत्यधिक उपयोग हुआ है। गंगा में नगरों के तरल अपशिष्ट (सीवेज), औद्योगिक इकाईयों के अपशिष्ट तथा कृषि में उपयोग किये गये रसायनों के मिलने के कारण प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है। साथ ही मानव द्वारा अत्यधिक दोहन, पारिस्थितिकीय परिवर्तन, संकीर्ण होते आवासीय क्षेत्र, प्रदूषण आदि के कारण जलीय जीवों के जीवन पर संकट बना हुआ है जिससे कि जलीय जीवों की कई प्रजातियां लुप्तप्रायः हो गई हैं। गंगा नदी की जैव विविधता के पुनर्स्थापन के कार्यक्रम को

संचालित करने के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान का चयन किया गया है।

2. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारतीय वन्य जीव संस्थान तथा जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी की धारा को अविरल व निर्मल करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी इस परियोजना के महत्वपूर्ण अंग हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता एंव उत्तरजीविता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। वन्य जीव संस्थान द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के संरक्षण हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैव विविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

3. जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन

वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिन्तन कर भविष्य की रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक जैव विविधता संसाधनों के उचित व सतत् (Appropriate and sustainable) उपयोग हेतु योजना बनाई जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की जैव विविधता के संरक्षण की योजना बनाने हेतु सभी क्षेत्रीय हितधारकों (stakeholders) को केन्द्र में रखते हुये समुदाय की सहभागिता से संवर्धन एवं संरक्षण योजनायें तैयार की जानी हैं। समुदाय की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों तथा समय अवधि आदि को दृष्टिगत रखते हुये वास्तविक योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिये।

ग्राम स्तरीय योजना निर्माण हेतु दी गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जाना चाहिये। योजना निर्माण हेतु बैठक, संपर्क, कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि के द्वारा जानकारी एकत्र की जानी चाहिये। योजना निर्माण की प्रकिया को निम्नवत दर्शाया जा सकता है –

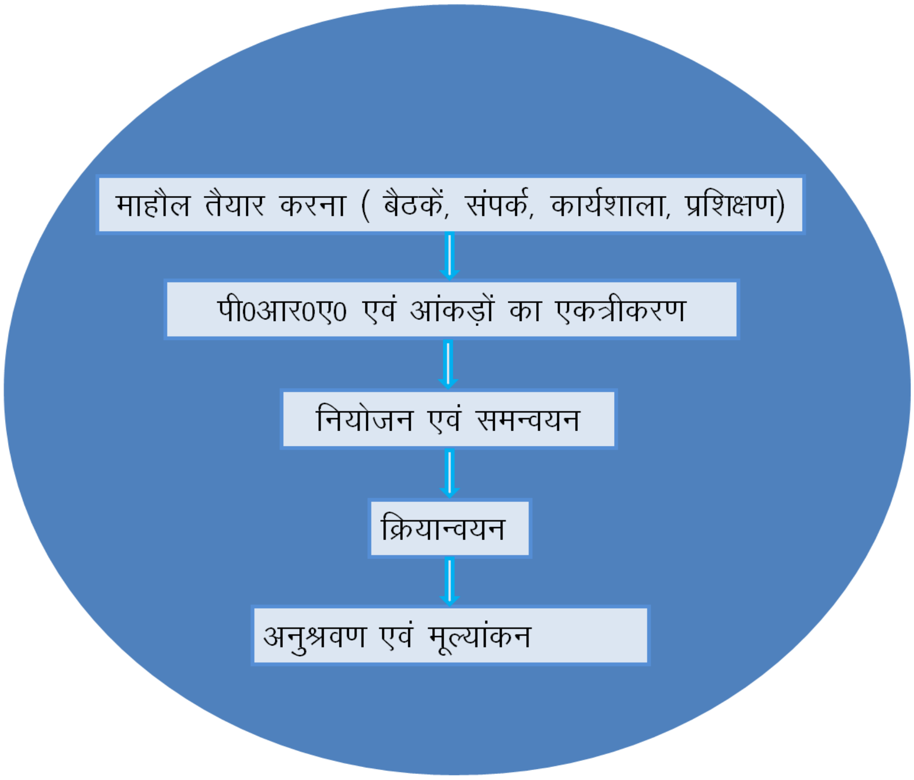

चित्र 1 – नियोजन की प्रक्रिया

जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन में क्षेत्रीय समस्याओं की पहचान करके नियोजन की दिशा उसी के अनुसार तय की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध स्थानीय, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही योजना बनाई जायेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि नियोजन में स्थानीय समुदाय की अधिकाधिक भागीदारी रहे एवं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही योजना तैयार हो सके। इसमें ग्राम समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। समुदाय की आवश्यकताओं को चिन्हित करके समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार के क्या साधन विकसित किये जा सकते हैं? सूक्ष्म नियोजन में इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिये।

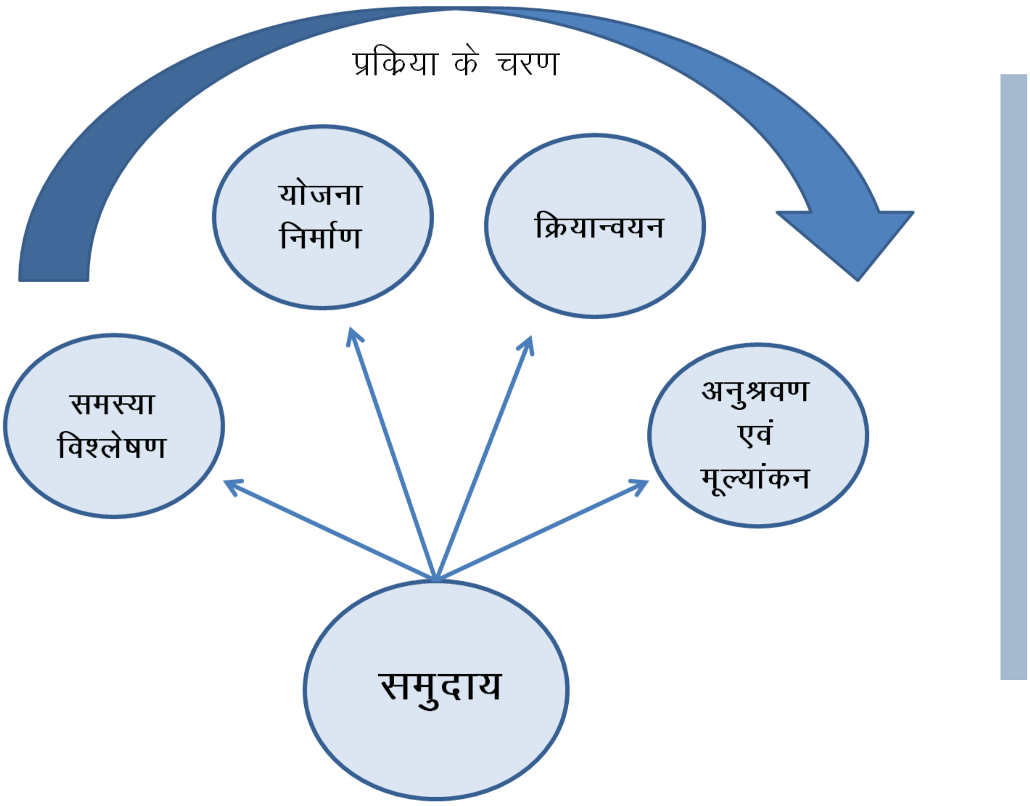

चित्र 2 : सूक्ष्म नियोजन में समुदाय की भूमिका

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन के उद्देश्य

1. **जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम की सतत्ता (Sustainability) को सुनिश्चित करना**

   नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जैव विविधता कार्यक्रम की सततता को सुनिश्चत करने हेतु समुदाय को कार्यक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति जानकारी प्रदान करना है। गंगा जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी भी इसमें प्रदान की जायेगी।

2. **कार्यक्रम को दिशा प्रदान करना**

   कार्य विशेष की भावी रूपरेखा बनाकर उसे एक ऐसी दिशा प्रदान करने का प्रयत्न किया जायेगा जिससे कि कार्यक्रम सही दिशा में संचालित किया जा सके एवं कार्यक्रम के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके।

3. **कार्यकुशलता में वृद्धि करना**

   योजना बनाते समय कार्य को सम्पादित करने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की जायेगी एवं अंत में सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जायेगा। सर्वोत्तम विकल्प का चयन और व्यवस्थित ढंग से कार्य किये जाने के कारण कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

4. **प्राकृतिक, मानवीय व वित्तीय संसाधनों का सही प्रयोग**

   नियोजन करने के बाद गतिविधियों को सही दिशा में संचालित करने में सहायता मिलेगी जिससे कार्यक्रम में अपव्यय नहीं होगा और समुदाय में उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

5. **जोखिम एवं सम्भावनाओं को परखना**

   नियोजन का एक उद्देश्य कार्यक्रम में आने वाली भावी सम्भावनाओं को परखना भी है। समुदाय के साथ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में विस्तृत

चर्चा की जायेगी जिससे समुदाय में कार्य करने में आने वाली संभावित कठिनाइयों को परखकर उसके अनुरूप रणनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी।

6. **लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग**

सही व सटीक नियोजन से कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिलता है, कार्यक्रम के आरम्भ से ही सही रणनीति बन जाती है जिसके अनुसार गतिविधियों का संचालन कर कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

7. **समुदाय आधारित संगठनों का सशक्तिकरण अथवा नये संगठनों का निर्माण**

कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समुदाय में स्थित संगठनों का सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है ताकि वे कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करते हुये लक्ष्य प्राप्ति में अपना योगदान दे सकें। समुदाय में संगठनों की अनुपस्थिति की दशा में नये संगठनों का निर्माण किया जा सकता है।

चित्र 3 : ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन के उद्देश्य

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय नियोजन की रूपरेखा

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन की रूपरेखा निम्नवत दी जा रही है –

अध्याय – 1

प्रस्तावना

1.1 ग्राम पंचायत की अवस्थिति

इस भाग में ग्राम पंचायत की अवस्थिति, (Location, longitude, latitude etc.) जिला मुख्यालय एवं गंगा से दूरी, ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याओं (जैव विविधता संरक्षण संबंधी) एवं उनके संभावित समाधान का संक्षिप्त विवरण बिंदुवार दिया जायेगा।

अध्याय – 2

ग्राम पंचायत की जानकारी

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

इस भाग में ग्राम पंचायत के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जायेगी, साथ ही गंगा के समीप उसकी अवस्थिति को दर्शाया जायेगा। ग्राम पंचायत की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण गंगा व उसकी जैव विविधता के संदर्भ में दिया जायेगा। ग्राम पंचायत में समूह चर्चा एवं टाइमलाइन आदि गतिविधियों के माध्यम से इस पर जानकारी एकत्र की जा सकती है।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

इस भाग में ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किये जाने के मानकों एवं प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी जायेगी।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत को चयन किये जाने की प्रक्रिया इस भाग में आयेगी।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

इस भाग में कुल जनसंख्या एवं उसका विभाजन (महिला, पुरूष, बच्चे, जातिगत भिन्नता), सामाजिक ढांचा व उससे संबंधित मान्यतायें, परिवार का औसत आकार, शैक्षिक स्थिति आदि का विवरण दिया जायेगा।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय का विवरण

ग्राम पंचायत में जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न कार्यों (नौकरी, व्यवसाय, तकनीकी कार्य, कृषि, गंगा पर आश्रित) को करने वाले परिवारों का विवरण इस भाग में दिया जायेगा।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

इस भाग में ग्राम पंचायत में पेयजल हेतु उपलब्ध संसाधन, स्वच्छता की स्थिति, शौचालयों की संख्या, उनके प्रयोग की स्थिति तथा कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था आदि का विवरण दिया जायेगा। शौचालय उपयोग न करने/न होने की दशा में शौच हेतु निर्धारित स्थान, कूड़ा फेंकने का स्थान आदि का विवरण दिया जायेगा।

2.7 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में वर्तमान कृषि क्षेत्र, कृषि जोतों का विवरण, कुल कृषि करने वाले परिवारों की संख्या, मुख्य फसलों का विवरण, कृषि उत्पादन क्षमता, बीजों एवं खाद की उपलब्धता व उसका स्रोत आदि का विवरण इस भाग में आयेगा। ग्राम पंचायत में कुल पशुओं की संख्या एवं प्रजाति, प्रति परिवार औसत पशु संख्या आदि का विवरण इस भाग में आयेगा। साथ ही पशु उत्पादों का विवरण व विपणन तथा चारागाह आदि की स्थिति भी इस भाग में दी जायेगी।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

इस भाग में क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में हुई औसत वर्षा के विवरण के साथ साथ ग्राम पंचायत में उपलब्ध प्राकृतिक व मानव निर्मित जल संसाधनों का विवरण दिया जायेगा।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुंच एवं संचार के साधनों व अन्य संस्थानों की उपलब्धता एवं स्थिति

इस भाग में ग्राम पंचायत तक पहुंचने के साधनों, ग्राम पंचायत में उपलब्ध संचार के साधनों, गांव व उसके आसपास उपलब्ध अन्य संस्थानों (आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बाजार आदि) का विवरण दिया जायेगा। जिसे ग्राम संसाधन मानचित्र (Village Resource Map) पर दर्शाकर संलग्न किया जा सकता है।

तालिका 1 : ग्राम में संस्थानों की उपलब्धता

क्रम सं0	संस्थान का नाम	गांव से दूरी
1.	प्राथमिक विद्यालय	
2.	इंटरमीडियेट कालेज	
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
4.	आंगनबाड़ी केन्द्र	
5.	पोस्ट ऑफिस	
6.	पक्का रोड	
7.	कच्चा रोड	
8..	बैंक	
9.	बजार	
10.	अन्य	

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास प्राकृतिक संसाधन एवं जैव विविधता का विवरण

इस भाग में ग्राम पंचायत में उपलब्ध वन संसाधनों, ग्राम पंचायत के आसपास उपलब्ध वनस्पति एवं जीव जंतुओं, ग्राम पंचायत में स्थित जलनिकाय/आर्द्रभूमि (wetland) उनका वर्तमान उपयोग, चारागाह/सामुदायिक भूमि, पंचायत की भूमि, जल संसाधन आदि का विवरण दिया जायेगा। साथ ही कार्यक्रम के संदर्भ में उनकी उपयोगिता भी स्पष्ट की जायेगी। इस भाग में ग्राम पंचायत के आसपास मिलने वाले व प्रवासी पक्षियों का विवरण भी दिया जा सकता है।

2.11 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

इस भाग में गंगा नदी एवं उसके आसपास पाई जाने वाली जैव विविधता के साथ ही समुदाय की गंगा पर निर्भरता का विवरण दिया जायेगा। साथ ही गंगा नदी व उसकी जैव विविधता पर समुदाय की निर्भरता के आपसी प्रभावों का आकलन किया जायेगा। समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता से समुदाय को होने वाले लाभों के साथ ही उसके नकारात्मक प्रभावों को भी इस भाग में सम्मिलित किया जायेगा।

तालिका 2 : समुदाय की गंगा पर निर्भरता

गंगा पर समुदाय की निर्भरता	गंगा नदी पर प्रभाव
पीने का पानी	
घरेलू उपयोग हेतु (नहाने,कपड़े धोने आदि)	
सिंचाई उपयोग	
औद्योगिक उपयोग	
नदी के किनारे की सामग्री (रेत, बालू, बजरी)	
ईधन हेतु लकड़ी	
बिजली उत्पादन	
आवागमन हेतु	
मछली पकड़ने हेतु	
मनोरंजन	
धार्मिक/सांस्कृतिक	
आध्यात्मिक	

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी

इस भाग में गांव में पूर्व में किसी विभाग, कार्यक्रम, परियोजना आदि के अन्तर्गत चलाये गये जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी जायेगी। इन कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, प्रभाव आदि के बारे में भी जानकारी इस भाग में दी जा सकती है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

विभिन्न संस्थाओं/विभागों द्वारा ग्राम पंचायत में किये जा रहे कार्यों का विवरण इस भाग में दिया जायेगा ताकि कार्य के दौरान इन विभागों से समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के गंगा व उसकी जैव विविधता पर होने वाले प्रभावों का विवरण भी इस भाग में दिया जायेगा।

तालिका 3 : ग्राम स्तरीय संस्थाओं का विवरण

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	विभाग/संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी

अध्याय – 3

हितधारकों की पहचान

3.1 जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम में हितधारकों की भूमिका एवं महत्व

प्रत्येक कार्यक्रम में अलग अलग स्तर के हितधारकों की भूमिकायें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके हितधारक कितनी रूचि व सक्रियता से कार्यक्रम में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। प्राथमिक हितधारक जो कि मुख्य रूप से स्थानीय निवासी होते हैं वे यदि कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन में रूचि लेते हैं एवं उसके उद्देश्यों व परिणामों के प्रति आश्वस्त होते हैं तो वे सक्रिय रूप से कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान देते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारक कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं और कार्यक्रम हेतु संसाधनों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करने के साथ ही कार्यक्रम क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता कर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करते हैं।

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम में सभी हितधारकों को चिन्हित कर कार्यक्रम क्रियान्वयन में उनसे समन्वय स्थापित किया जाना है। ग्रामीण समुदाय एवं लक्ष्य समूह के साथ लगातार बैठकें कर उनसे कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की जानी है। साथ ही गंगा की जैव विविधता के महत्व के बारे में उनको जागरूक करते हुये कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूर्ण करने में समुदाय की भूमिका सुनिश्चित की जानी है।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विकासखंड स्तर व जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक होगा ताकि विभिन्न विभागों के सहयोग से योजनाओं का लाभ समुदाय तक पंहुचाया जा सके व कार्यक्रम क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके।

3.2 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

कार्यक्रम के हितधारकों की पहचान एवं उनको कार्यक्रम में शामिल करने हेतु रणनीति इसमें शामिल की जायेगी। उनको कार्यक्रम में शामिल करने हेतु रणनीति इसमें शामिल की जायेगी।

हितधारक

किसी कार्यक्रम के हितधारक वे लोग, समूह या संगठन होते हैं जो कार्यक्रम से सम्बद्व हैं, उसमें रूचि रखते हैं, या उससे प्रभावित होते हैं।

हितधारक कार्यक्रम में महत्व के अनुसार कार्य करने हेतु स्वप्रेरित होते हैं। इसलिये कार्यक्रम में हितधारकों एवं उनके महत्व की पहचान आवश्यक है।

प्राथमिक हितधारक

समुदाय से जुड़े लोग एवं कार्यक्रम में काम करने वाले लोग जो कार्यक्रम से सीधे प्रभावित होते हैं, प्राथमिक हितधारक हैं।

द्वितीयक हितधारक

स्थानीय शासन व प्राधिकारी व अन्य जो लोग कार्यक्रम से जुड़े हैं व किसी न किसी रूप में उसे प्रभावित करते हैं वे द्वितीयक हितधारक होते हैं।

तृतीयक हितधारक

सरकारी अधिकारी, दानदाता संस्थायें आदि जो कार्यक्रम के प्रभाव को जानने में रूचि रखते हैं।

तालिका 4 : हितधारकों की पहचान

हितधारकों की पहचान		
प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
• स्थानीय लाभार्थी समुदाय • कार्यक्रम में कार्य करने वाले कार्यकर्ता	• स्थानीय शासन • जिला स्तरीय प्राधिकारी (authorities) • गैर सरकारी संस्थायें एवं परियोजनायें • स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे विभाग • विद्यालय एवं महाविद्यालय	• वित्तीय एवं दानदाता संस्थायें • राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकारी • विदेशी संस्थायें • मीडिया

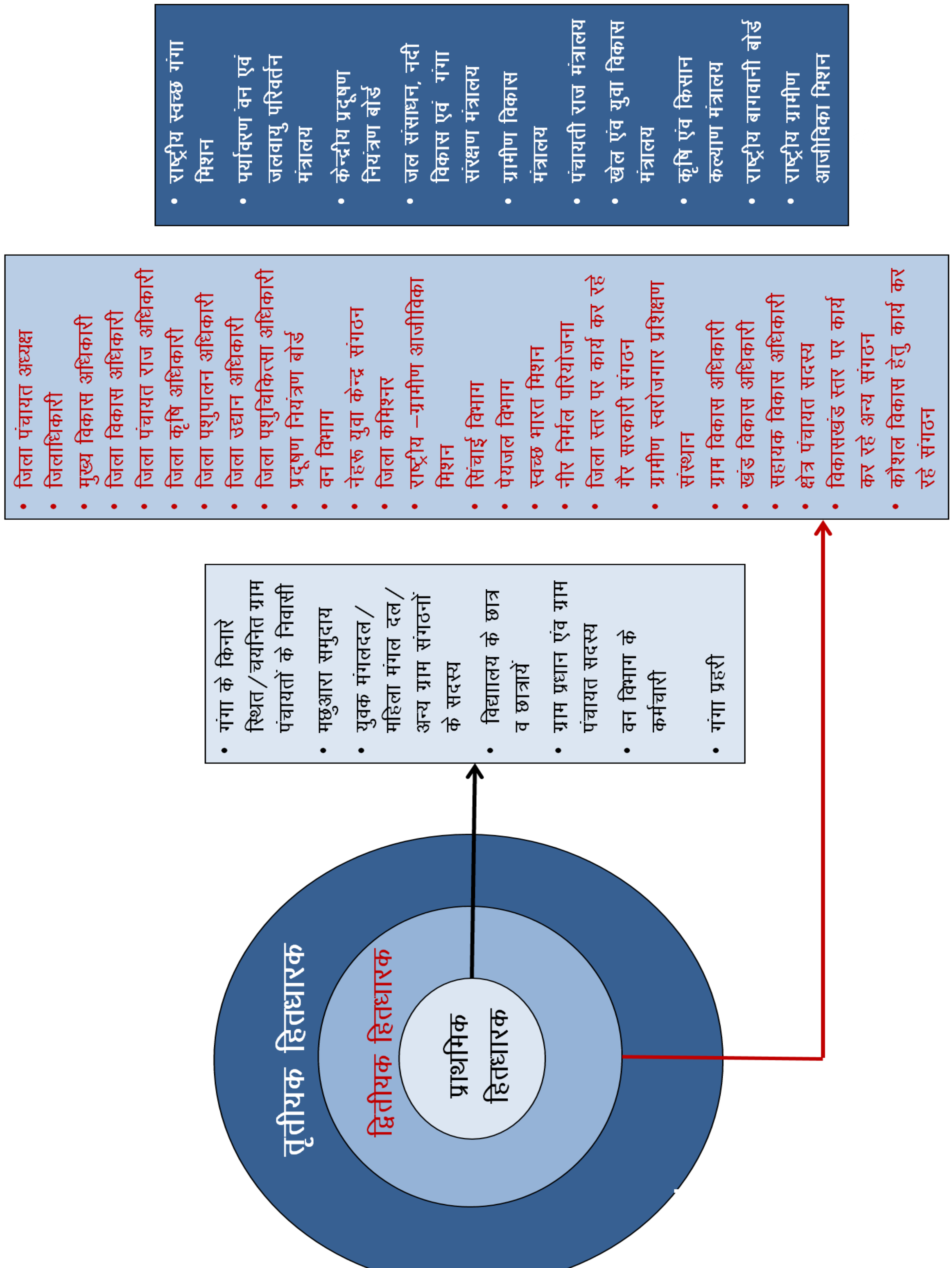

चित्र 4 : गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों में जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संभावित हितधारकों की सूची

अध्याय – 4

समस्या विश्लेषण

यह भाग सूक्ष्म नियोजन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें समुदाय को शामिल कर ग्राम पंचायत से संबंधित समस्या का विश्लेषण कर उसके समाधान हेतु रणनीति तय की जाती है। रणनीति के साथ ही लक्ष्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली गतिविधियां एवं उनके संभावित परिणामों को भी यहां पर दर्शाया जायेगा।

4.1 समस्या की पहचान एवं विश्लेषण

इस भाग में गंगा नदी की जैव विविधता के विघटन से संबंधित समस्याओं को पहचान कर उनके कारणों को दर्शाया जायेगा। यह गतिविधि समुदाय के साथ मिलकर की जाएगी।

समस्या विश्लेषण

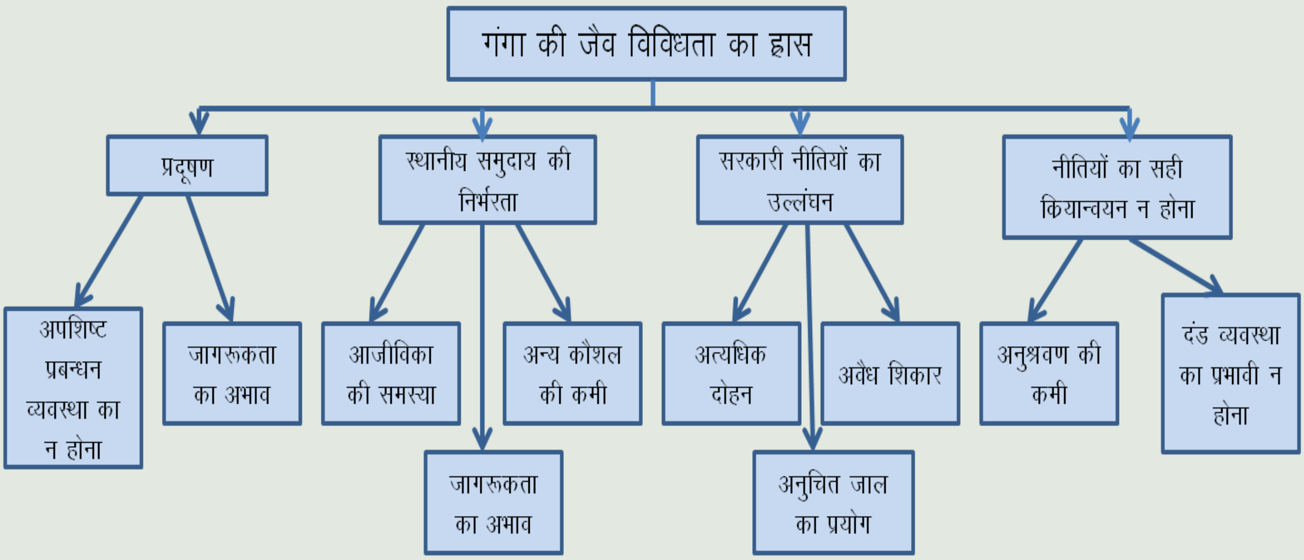

अध्याय – 5

नियोजन के उद्देश्य

5.1 नियोजन के उद्देश्य

इसमें समस्या के समाधान हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों का विवरण दिया जायेगा। उद्देश्य कार्यक्रम केन्द्रित एवं वास्तविक होने चाहिये जिन्हें पूर्ण किया जा सके।

5.2 नियोजन की प्रक्रिया

सूक्ष्म नियोजन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख इस भाग में किया जायेगा। ग्राम पंचायत चयन के अतिरिक्त ग्राम पंचायत में सूक्ष्म नियोजन हेतु क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधि, ग्राम पंचायत में संपर्क विधि, बैठकों का विवरण, ग्राम पंचायत में की गई अन्य गतिविधियों का विवरण इस भाग में दिया जायेगा।

अध्याय –6

जैव विविधता संरक्षण हेतु ग्राम स्तरीय नियोजन एवं रणनीति

6.1 उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियां तथा रणनीति

इस भाग में प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तय की गई गतिविधियों एवं उसके लिये अपनायी जाने वाली रणनीति का विवरण दिया जायेगा। इसके अंतर्गत गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता, चिन्हित गंगा प्रहरियों की भूमिका, अन्य संस्थाओं/विभागों के साथ समन्वय व उनकी भागीदारी आदि का विवरण भी दिया जायेगा। जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये 9 उप–योजनाओं (Sub plans) के माध्यम से कार्य किया जायेगा। इन उप–योजनाओं को क्रियान्वित करने में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत की उप–समितियों की भूमिका को भी चिन्हित किया जायेगा। गंगा की जैव विविधता के संरक्षण में समुदाय की प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर विभिन्न उप–योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

ग्राम स्तर पर जैव विविधता संरक्षण हेतु निम्न योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। प्रथम छः योजनायें सभी चयनित ग्राम पंचायतों के लिये एवं अन्य तीन योजनाओं का निर्माण ग्राम पंचायत की स्थिति व संसाधनों को देखते हुये किया जा सकता है।

तालिका 5 : ग्राम स्तर पर बनने वाली विभिन्न योजनायें

क्रम सं0	योजना का विवरण	ग्राम 1	ग्राम 2	ग्राम 3	ग्राम 4
1	सामुदायिक जागरूकता	✓	✓	✓	✓
2	समुदाय आधारित संस्थायें व उनका योगदान	✓	✓	✓	✓
3	स्वच्छता संबंधी गतिविधियां	✓	✓	✓	✓
4	आजीविका एवं कौशल विकास	✓	✓	✓	✓
5	जैव विविधता संरक्षण	✓	✓	✓	✓
6	वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जा स्रोत	✓	✓	✓	✓
7	कृषि विकास		✓		
8	पशुपालन	✓			✓
9	मत्स्य पालन			✓	

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता

सामाजिक सहभागिता जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है । इस योजना के तहत गंगा की जैव विविधता एवं जलीय जीवों के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक किया जायेगा साथ ही गंगा के संरक्षण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजना में समुदाय से लगातार संवाद बनाये रखने एवं जागरूक करने के लिये की जाने वाली गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा (बैठकें

एवं प्रशिक्षण, शिविर, विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियां, रैली, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि)। जागरूकता कार्यक्रमों में गंगा प्रहरियों की भूमिका का विवरण भी इस भाग में दिया जायेगा। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों हेतु अन्य योजनाओं/विभागों से किये जाने वाले समन्वयन का विवरण भी इस भाग में आयेगा।

6.1.2 समुदाय आधारित संस्थायें व उनका योगदान

समुदाय आधारित संस्थायें समुदाय में कार्य करने हेतु क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान कर सकती हैं। ये कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने, कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग करने के साथ ही साथ कार्यक्रम की सतत्ता (Sustainability) को सुनिश्चित करने का माध्यम हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिये समुदाय आधारित संस्थाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर उनकी क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण किये जा सकते हैं ताकि वे गंगा की जैव विविधता के महत्व को समझ कर उसके संरक्षण के लिये कार्य कर सकें। इन संस्थाओं में ग्राम में बने स्वंय सहायता समूहों, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल आदि के साथ ही पंचायत की विभिन्न उप–समितियों एवं गंगा प्रहरियों को शामिल किया जा सकता है। इस भाग में उपरोक्त संस्थाओं का विवरण तथा उन्हें कार्यक्रम में शामिल करने की रणनीति के विवरण के साथ ही कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी भूमिका का विवरण भी दिया जायेगा।

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास

समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का आकलन करने के साथ ही गंगा नदी पर उनकी निर्भरता को कम करने हेतु आवश्यक है कि आजीविका के वैकल्पिक साधनों को अपनाने हेतु उन्हें प्रेरित व प्रशिक्षित किया जाये। अतः विभिन्न आजीविका के साधनों का चिन्हीकरण, प्रशिक्षण देने वाले कार्यक्रमों/संगठनों/संस्थानों का विवरण, प्रशिक्षणार्थियों का चयन व विभिन्न कार्यक्रमों से उनका जुड़ाव करने की रणनीति इस भाग में आयेगी। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, खादी एवं ग्रामोद्याोग आयोग, कृषि विभाग, उद्यान

विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग आदि की योजनाओं से लिंकेज स्थापित करने के तरीकों का विवरण दिया जायेगा।

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां

इस भाग में समुदाय में वर्तमान में उपलब्ध स्वच्छता सुविधाओं के साथ ही स्वच्छता हेतु की जाने वाली गतिविधियों, सफाई अभियान, जल निकास की समस्या से संबंधित गतिविधि, ठोस व तरल कूड़ा निस्तारण, मृत पशुओं के प्रबन्धन से संबंधित रणनीति का विवरण दिया जायेगा। स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के लिये ग्राम पंचायत, राज्य पेयजल विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तरल व ठोस कूड़ा निस्तारण हेतु कार्य कर रही संस्थाओं आदि से सहयोग स्थापित किया जा सकता है।

6.1.5 वैकल्पिक (नवीकरणीय) ऊर्जा स्रोत

समुदाय हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता, उनके प्रयोग आदि से संबंधित जानकारी इस भाग में आयेगी। वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग समुदाय में किन–किन कार्यों हेतु किया जा सकता है, क्या वैकल्पिक आजीविका के स्रोतों के लिये भी इसका प्रयोग किया जा सकता है? आदि से संबंधित जानकारी इस भाग में दी जा सकती है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु उत्तराखंड के हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन आरगेनाइजेशन (हेस्को), राज्य वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (उरेडा, नेडा, अन्य), डिपार्टमेंट आफ सांइस एंड टेक्नालॉजी आदि से सहयोग लिया जा सकता है।

6.1.6 जैव विविधता संरक्षण

जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य है। इस क्रम में गंगा की जैव विविधता के संरक्षण के साथ ही ग्राम समुदाय के अधिकार क्षेत्र में मौजूद जैव विविधता का संरक्षण भी किया जाना है। इस भाग में ग्राम पंचायत या उसके आसपास यदि कोई तालाब या आर्द्रभूमि आदि है जहाँ पर कछुआ या अन्य कोई जीव हैं तो उसके

संरक्षण संबंधी कार्ययोजना के साथ ही ग्राम पंचायत व उसके आसपास उपलब्ध जैव विविधता के संबंध में जागरूकता हेतु की जाने वाली गतिविधियां इस भाग में आयेगी।

6.1.7 कृषि विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का मुख्य साधन है। कृषि में उत्पादन कम होने के कारण ग्रामीणों को जीविका के अन्य साधनों की ओर जाना पड़ता है। साथ ही कृषि में रासायनिक खादों के प्रयोग से गंगा के जल व पेयजल के अन्य स्रोतों को भी हानि पहुंच रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत कृषि की जानकारी देने, कृषि के उन्नत तरीकों को अपनाने हेतु प्रेरित करने तथा रासायनिक खादों के प्रयोग को कम करने एवं जैविक कृषि अपनाने हेतु प्रेरित करना भी कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा। जिसके लिये कृषि तथा उद्यान विभाग, जैव विविधता संरक्षण बोर्ड आदि के साथ समन्वयन किया जा सकता हैं। इस भाग में ग्राम में वर्तमान में उपलब्ध कुल भूमि, कृषि पैटर्न (कितनी भूमि में क्या फसल उगाई जाती है) आदि की जानकारी के साथ कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा।

6.1.8 पशुपालन

कृषि के साथ ही पशुपालन भी ग्रामीण समुदाय की आजीविका का साधन है। पशुपालन में किये जाने वाले हस्तक्षेप (interventions) में उन्नत प्रजाति के दुधारू पशुओं की जानकारी, पशु स्वास्थ्य शिविर, पशु टीकाकरण आदि मुख्य हैं। इसके लिये पशुपालन विभाग, बाएफ आदि से सहयोग लिया जा सकता है। इस भाग में मुख्यतः ग्राम पंचायत में उपलब्ध पशुधन एवं उपलब्ध उत्पाद (दुग्ध, मांस, अन्य) आदि के प्रयोग/विपणन का विवरण एवं उपरोक्त कार्यों को किये जाने हेतु रणनीति का वर्णन किया जायेगा। पशुपालन (मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि) को आजीविका के विकल्प के रूप में भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

6.1.9 मत्स्य पालन

गंगा किनारे रहने वाले समुदाय की आजीविका मत्स्य दोहन एवं उसके विपणन पर भी निर्भर करती हैं। साथ ही गंगा किनारे के समुदाय के भोजन का मछली भी मुख्य भाग है परंतु गंगा नदी में प्रदूषण एवं अत्यधिक दोहन के कारण मछलियों की संख्या में भारी कमी आई है। गंगा किनारे के ग्रामों में सतत आजीविका के साधन के रूप में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जिससे गंगा नदी पर दबाव कम हो सके इसके लिये मत्स्य पालन विभाग का सहयोग लिया जा सकता है। वर्तमान में कितने परिवारों द्वारा मत्स्य दोहन किया जा रहा है? क्या वे गंगा नदी से मत्स्य दोहन संबंधी नियमों (जाल इत्यादि के प्रयोग से संबधित) का पालन कर रहे हैं? क्या समुदाय मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों को करने के लिये तैयार है? मत्स्य विभाग के साथ मिलकर कैसे इन कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है? इसका विवरण इस भाग में आयेगा।

6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन (Convergence)

स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों (प्राकृतिक एवं वित्तीय) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो एवं समुदाय को उसका उचित लाभ मिल सके, इस हेतु विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों, योजनाओं के मध्य समन्वयन किया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय को अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु विभिन्न स्तरों पर समन्वयन किया जा सकता है।

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों एवं संगठनों से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है ताकि स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों (प्राकृतिक एवं वित्तीय) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके एवं समुदाय को उसका उचित लाभ मिल सके। कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर समन्वयन किया जा सकता है।

6.2.1 स्थानीय स्तर पर

इसके तहत पंचायत के विभिन्न वार्डों व दो या अधिक पंचायतों के मध्य समन्वयन किया जा सकता है। उदाहरण के लिये दो पंचायतों के कूड़ा फेंकने के स्थान, पेयजल लाइन व अन्य स्थानीय संसाधनों से संबंधित गतिविधियों हेतु समन्वयन स्थापित किया जा सकता है। गंगा की जैव विविधता के संरक्षण हेतु मुख्य रूप से गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों/पंचायतों/वार्डों में कार्यक्रम को संचालित किया जाना है। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्डों, नजदीकी पंचायतों, विभिन्न समूहों, समितियों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

गंगा के किनारे बसे व साथ–साथ स्थित ग्रामों/बस्तियों हेतु एक स्थान पर जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य शिविर, पशु स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन किया जा सकता है। समय–समय पर इन ग्रामों/बस्तियों के युवाओं को साथ लेकर घाट सफाई अभियान आदि का संचालन किया जा सकता है। साथ ही कुछ ग्रामों के मध्य कूड़ा निस्तारण/प्रबन्धन इकाई लगाकर उसका संचालन किया जा सकता है।

6.2.2 क्षेत्र (Sector) के स्तर पर

यह एक ही क्षेत्र से संबंधित योजनाओं/ कार्यक्रमों के अन्तर्गत समन्वयन से संबंधित है। उदाहरण के लिये कृषि विकास के लिये समन्वयन हेतु उससे संबंधित विभागों जैसे उद्यान, सिचांई आदि के साथ समन्वयन किया जाना होगा। विकासखंड स्तर पर कार्य कर रहे विभागों को गंगा जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ने हेतु खंड विकास अधिकारी के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये खंड विकास अधिकारी के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, विकास खंड स्तर पर गठित समितियों के सदस्यों आदि के साथ समन्वय किया जायेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम हेतु जागरूकता एवं कार्यक्रम के संचालन हेतु विकासखंड स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM),पेयजल व अन्य कार्यक्रम समन्वयकों के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा। स्कूल स्वच्छता हेतु विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी से समन्वय किया जा सकता है।

6.2.3 अन्तर्क्षेत्रीय स्तर पर

किसी भी कार्यक्रम को अधिकतम प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं से संसाधनों, जानकारी को उपयोग करने हेतु रणनीति बनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिये जलागम प्रबन्धन हेतु प्रभावी योजना बनाने के लिये हमें भूमि संरक्षण, वन, लघु सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन आदि विभागों के साथ समन्वयन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार गंगा नदी की स्वच्छता एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की आवश्यकता होगी।

6.2.4 रेखीय (Vertical) समन्वयन

ऐसे किसी कार्य के लिये जो स्थानीय व क्षेत्रीय स्तर पर नहीं किया जा सकता उसके लिये रेखीय समन्वयन किया जा सकता है। इसके लिये विकासखंड, जिला या राज्य स्तर पर विभागीय अधिकारियों/गठित समितियों के साथ समन्वयन किया जा सकता है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी व जिला विकास अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रम से संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला विकास समिति, जिला विकास समन्वयन एवं अनुश्रवण समिति **(**Disha**),** जिला गंगा समितिके माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। जिला स्तर पर मुख्य रूप से कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग आदि से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिन विभागों का सहयोग लिया जा सकता है उन विभागों की सूची व उनके साथ किस तरह/ किस कार्य हेतु समन्वय किया जायेगा उसकी जानकारी इस भाग में दी जायेगी।

अध्याय – 7

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म नियोजन के विभिन्न चरण

7.1 द्वितीयक आंकड़ों को संकलित करना

नियोजन हेतु कुछ सूचनायें प्राथमिक रूप से एवं कुछ द्वितीयक आंकडों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। उदाहरण के लिये ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या, परिवारों की संख्या, जातिवार जनसंख्या का विवरण, गरीबी रेखा से ऊपर व नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या आदि आंकडें ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर, जनगणना के आंकड़ों आदि से प्राप्त किये जा सकते हैं । द्वितीयक आंकड़े सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व ही संकलित किये जा सकते हैं ताकि ग्राम पंचायत में सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया के दौरान इनका सत्यापन किया जा सके।

7.2 समुदाय के साथ मिलकर योजना बनाना

7.2.1 समुदाय में एन्ट्री प्वाइंट एक्टिविटि का चयन

समुदाय में प्रवेश के लिये एन्ट्री प्वाइंट एक्टिविटि का चयन किया जाना चाहिये। जिसके द्वारा हम ग्राम पंचायत के अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित कर सकें ताकि हमें ग्राम पंचायत के संबंध में अधिकाधिक सूचनायें प्राप्त हो सकें।

7.2.2 नियोजन हेतु समूह (टीम) का गठन

ग्राम पंचायत में जाने से पहले सूक्ष्म नियोजन हेतु समूह (टीम) का गठन एवं उनकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिये।

7.2.3 सुगमकर्ता का चयन

ग्राम पंचायत में पंहुचने पर गतिविधि हेतु सुगमकर्ता कौन होगा समूह (टीम) को ये भी स्पष्ट होना चाहिये ताकि गांव में पंहुचने पर सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें एवं असमंजस की स्थिति न बने।

7.2.4 सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी0आर0ए0) गतिविधि

सहभागी मूल्यांकन गतिविधि के द्वारा समुदाय के सहयोग से ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पी0आर0ए0 के द्वारा स्थानीय समुदाय के लागों को स्वयं सूचनाओं का विष्लेषण करने तथा योजना के निर्माण करने के लिये सक्षम बनाया जाता है। इस गतिविधि के द्वारा ग्राम पंचायत के संबंध में जानकारी आसानी से व सबके सहयोग से प्राप्त कीजा सकती है। पी0आर0ए0 गतिविधि में समूह चर्चा एवं अनुभव आदान प्रदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियोजन के समय मुख्य रूप से समुदाय सामाजिक व संसाधन मानचित्र तैयार करना, चपाती चित्रण (Venn diagram), अनुप्रस्थ भ्रमण (Transect walk) आदि विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।

7.2.5 ग्राम स्तरीय नियोजन के समय ध्यान में रखे जाने वाले बिंदु

गंगा नदी के किनारे स्थित ग्रामों में जैव विविधता संरक्षण हेतु कार्ययोजना बनाते समय निम्न सूचकों को ध्यान में रखा जा सकता है–

अ. ग्राम पंचायत की गंगा नदी से दूरी।

ब. ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति।

स. कृषि योग्य भूमि एवं उसमें उपयोग किये जाने वाले किटाणुनाशक एवं उर्वरक आदि की जानकारी।

द. गंगा की स्वच्छता संबंधी जागरूकता का स्तर।

य. गंगा पर समुदाय की निर्भरता एवं उसका प्रकार।

र. ग्राम पंचायत में पारंपरिक समुदाय जैसे मल्लाह, नाविक आदि की संख्या।

ल. ग्राम पंचायत में विभिन्न समुदाय आधारित संस्थाओं की उपस्थिति एवं कार्य।

7.3 प्रस्तावित गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

प्रस्तावित गतिविधियों को उनकी व्यवहारिकता के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा। गतिविधि पर्यावरणीय, सामाजिक, वित्तीय रूप से व्यवहारिक है अथवा नहीं

7.4 सहमत गतिविधियों का विवरण

व्यवहार्यता विश्लेषण के बाद सहमत गतिविधियों का विवरण इस भाग में दिया जायेगा। इसमें गतिविधि को सम्पादित करने में समुदाय व अन्य संस्थाओं/विभागों/संगठनों की भूमिका को भी दर्शाया जायेगा।

7.5 ड्राफ्ट योजना तैयार करना

प्राथमिक व द्वितीयक आंकडों के संकलन व ग्राम पंचायत से अन्य सूचनायें प्राप्त हो जाने के बाद नियोजन समूह द्वारा ड्राफ्ट योजना तैयार की जायेगी ।

7.6 योजना को अंतिम रूप देना

ड्राफ्ट योजना को पुनः समुदाय के मध्य ले जाया जायेगा एवं इस पर चर्चा के बाद पुनः योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा।

अध्याय – 8

वित्तीय आवश्यकता एवं अन्य विवरण

8.1 वित्तीय आवश्यकता (बजट)

गतिविधि को सम्पादित करने हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता का विवरण इस भाग में दिया जायेगा। साथ ही वित्तीय स्रोतों का विवरण भी दिया जायेगा।

8.2 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

इस भाग में विभिन्न गतिविधियों हेतु अनुश्रवण की विधि के बारे में जानकारी दी जायेगी ताकि समय–समय पर ये देखा जा सके कि लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं या नहीं।

8.3 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान समुदाय एवं कार्यक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य गंगा की जैव विविधता के संरक्षण हेतु किस प्रकार परस्पर सहयोग होगा इस पर पारस्परिक संकल्प प्रपत्र तैयार किया जायेगा।

8.4 विवाद का निपटारा

योजना के क्रियान्वयन के दौरान आये किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा कहां और कैसे किया जायेगा इसका विवरण इस भाग में आयेगा।

8.5 अभिलेखों का रखरखाव

कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे जाने वाले अभिलेखों/रजिस्टर आदि का विवरण व उसके रखरखाव की जिम्मेदारी आदि का विवरण यहां पर दिया जायेगा।

8.6 सफलता के सूचक/मानक

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु मूल्यांकन बिंदुओं की पहचान व निर्धारण सूक्ष्म योजना निर्माण दल के द्वारा समुदाय के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात किया जायेगा। कुछ सुझावात्मक सूचकों का विवरण नीचे दिया गया है।

सफलता के सूचक

- गंगा नदी के किनारे के चयनित हिस्सों में ग्राम स्तरीय सामुदायिक संगठनों का गठन किया जा चुका है
- गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है।
- चयनित स्थानों पर एक मंच तैयार किया जा चुका है जहां पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।
- विभिन्न हितधारकों के बीच गतिविधियों के आयोजन में सहयोग करने हेतु क्षेत्रीय गठबंधन स्थापित किया जा चुका है।
- संबंधित सामुदायिक संस्थानों का कौशल व क्षमता विकास किया जा चुका है।
- चयनित स्थानों पर गंगा नदी द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकीय सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका मूल्यांकन किया जा चुका है।
- गंगा नदी पर आश्रित समुदाय के लोगों के लिये सतत आजीविका के लिये रणनीति तैयार कर ली गई है। समुदाय को इसके लिये प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- समुदाय द्वारा जलीय जैवविविधता संरक्षण गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है उन्हें नजदीकी बचाव एवं पुर्नवास केन्द्र के बारे में जानकारी है एवं वे घायल जलीय जंतुओं की जानकारी पुर्नवास केन्द्र/संबंधित विभाग को दे रहे हैं।

8.7 अनुलग्नक

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना में निम्न अभिलेखों को अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जा सकता है –

1. स्थानीय (Location) मानचित्र
2. ग्राम पंचायत का संसाधन मानचित्र
4. ग्राम पंचायत का सामाजिक मानचित्र
5. विभिन्न गतिविधियों के चित्र
6. ग्राम पंचायत की समयरेखा
7. ग्राम स्तर में चल रही विभिन्न योजनाओं की सूची
8. समस्या प्राथमिकीकरण चार्ट
9. ग्राम पंचायत व उसके आसपास उपलब्ध जैव विविधता संसाधनों की सूची
10. सूक्ष्म नियोजन में शामिल प्रतिभागियों की सूची

अनुलग्नक

सूक्ष्म नियोजन मार्गदर्शिका (माइक्रोप्लानिंग गाइडलाइन) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

सूक्ष्म नियोजन मार्गदर्शिका (गाइडलाइन) को अंतिम रूप देने के लिये 6 मार्च 2018 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन मेजर जनरल दिलावर सिंह के द्वारा की गयी। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों के अतिरिक्त, 25 विभागों के 35 प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और मार्गदर्शिका में सुधार के सुझाव दिये। सभी सुझावों पर कार्यशाला के दौरान ही चर्चा की गई तत्पश्चात मार्गदर्शिका को अंतिम रूप दिया गया।

मुख्य अतिथि मेजर जनरल दिलावर सिंह, महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा प्रस्तुतीकरण

डा0 एस0ए0हुसैन द्वारा कार्यक्रम का द्वारा संबोधन

प्रतिभागियों द्वारा माइक्रोप्लानिंग गाइडलाइन पर चर्चा

पी0 आर0 ए 0 विधियां

1. सामाजिक मानचित्रण

सामाजिक मानचित्र स्थानीय समुदाय द्वारा तैयार मानचित्र है जिसमें ग्राम में पाये जाने वाली सामाजिक संरचनाओं एवं संस्थानों को दर्शाया जाता है। यह ग्राम में स्थित विभिन्न परिवारों की सामाजिक व आर्थिक विषमताओं को जानने में सहायता करता है।

लक्ष्य समूह – समुदाय के महिला एवं पुरूष

आवश्यक समय – 2 घंटे

मुख्य जानकारी – सामाजिक मानचित्र के द्वारा ग्राम में स्थित विभिन्न मजरों/तोकों की स्थिति जान सकते हैं। किसी खास धर्म/जाति के लोग क्या किसी खास मजरे/तोक में रहते हैं? उनकी स्थिति भी सामाजिक मानचित्र से जानी जा सकती है। सामाजिक सेवा प्रदान करने वाले संस्थान जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी, मंदिर, पंचायत भवन आदि की जानकारी भी मानचित्र के माध्यम से मिल सकती है। ग्राम संसाधन मानचित्र ग्राम पंचायत में प्रवेश करने के लिये एक अच्छी गतिविधि है। इससे पी0आर0ए0 टीम को ग्राम पंचायत में चर्चा शुरू करने में मदद मिलती है।

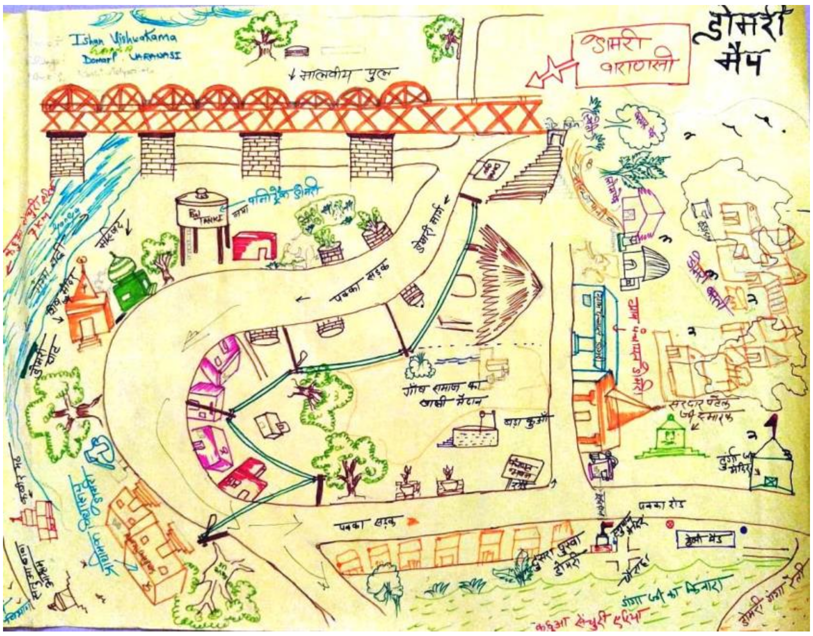

चित्र 1: सामुदायिक मानचित्र

2. **संसाधन मानचित्रण**

ग्राम संसाधन मानचित्र एक ऐसी गतिविधि है जो ग्राम पंचायत के संसाधनों के बारे में जानने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत के स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इससे समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में समुदाय की समझ के बारे में भी जानकारी मिल जाती है।

लक्ष्य समूह – समुदाय के महिला एवं पुरूष

आवश्यक समय – 2 घंटे

मुख्य जानकारी –ग्राम पंचायत से गंगा नदी की दूरी, ग्राम पंचायत के पास गंगा की लम्बाई, जल संरक्षण हेतु प्रावधान, गंगा के आसपास मिलने वाली वनस्पति तथा जीव–जंतु, ग्राम पंचायत में स्थित जलनिकाय/आर्द्रभूमि (wetland), ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन, उनका प्रकार, स्थिति, चारागाह/सामुदायिक भूमि, पंचायत की भूमि, जल संसाधन, चारागाह आदि को दर्शाया जायेगा।

इस गतिविधि को ग्राम पंचायत में महिलाओं और पुरूषों के अलग अलग समूहों में किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि महिलायें व पुरूष ग्राम पंचायत में अलग–अलग संसाधनों का प्रयोग करते हैं। महिलाओं से उन संसाधनों के बारे में जानकारी मिलती है जो उनके लिये महत्वपूर्ण हैं जैसे जलस्रोत, जलाशय आदि के बारे जानकारी। पुरूष उन संसाधनों के बारे में जानकारी देंगें जनका वे उपयोग करते हैं या जो उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं जैसे चराई भूमि, कृषि भूमि, वन भूमि, दुकानें, बाजार, स्वास्थ्य सुविधायें, स्कूल, मंदिर आदि। प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत की सीमाओं, ग्राम पंचायत में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों, सार्वजनिक स्थानों, मिलन स्थलों, खुले में शौच का स्थान आदि को दर्शाने के लिये कहें।

3. समय रेखा

इस गतिविधि के द्वारा ग्राम पंचायत में हुये विभिन्न परिवर्तनों, गतिविधियों, घटनाओं आदि की जानकारी ली जाती है। समुदाय में छोटे समूहों में इस गतिविधि का आयोजन कर ग्राम पंचायत में हुई घटनाओं का क्रमानुसार चित्रण किया जाता है। समय रेखा में मुख्यतः समुदाय के बुजुर्गों से जानकारी एकत्र की जाती है।

लक्ष्य समूह –ग्राम पंचायत में रहने वाले बुजुर्ग महिलायें एवं पुरूष

समय – 2 घंटे

मुख्य जानकारी –गांव कब बसा? क्या उस स्थान पर गांव के बसने का कोई मुख्य कारण था? गांव के बसने के बाद अब तक गांव में क्या–क्या परिवर्तन आये हैं? गांव में किस वर्ष में क्या मुख्य घटना घटी? गांव में बनने वाली मुख्य सुविधायें जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, पेयजल आदि कब–कब बनी? गांव में वन पंचायत का गठन कब हुआ? विद्युत की सुविधा कब हुई? या अन्य कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी जो आवश्यक हो।

4. वेन आरेख (चपाती चित्रण)

चपाती चित्रण ग्राम पंचायत में स्थित संस्थानों, संगठनों, समूहों और ग्राम पंचायत में रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों व समाज में उनके महत्व को दर्शाता है। यह विभिन्न संगठनों एवं समूहों के बीच संपर्क एवं सहयोग को भी दर्शाता है।

समय – 1.5 से 2 घंटे

उद्देश्य – 1. समुदाय में स्थित महत्वपूर्ण संगठनों, समूहों तथा व्यक्तियों की पहचान करना।

2. विभिन्न संगठनों, संस्थाओं के एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य तथा सहयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

मुख्य जानकारी –इस गतिविधि के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि समुदाय में कौन से संगठन/समूह काम कर रहे हैं, कौन से संगठन/समूह को ग्रामीण महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? कौन से संगठन एक साथ मिलकर काम करते हैं? क्या ऐसे समूह हैं जो केवल महिलाओं या केवल पुरूषों के लिये हैं।

इस गतिविधि के लिये महिलाओं व पुरूषों के अलग–अलग समूह बनायें। यह सुनिश्चित करें कि समूह में वंचित परिवारों के व्यक्ति भी शामिल हों। स्थानीय समूह किन–किन मुद्दों पर कार्य करते हैं समुदाय से पूछें कि प्रत्येक संगठन उनके लिये कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक संगठन हेतु उसके महत्व के आधार पर छोटा या बड़ा वृत्त बनाने के लिये कहें। अधिक महत्वपूर्ण संगठन को बड़ा वृत्त एवं कम महत्वपूर्ण संगठन हेतु छोटा वृत्त बनायें। निकट संपर्क में रहने वाले संगठनों/संस्थानों को पास पास रखें। संपर्क न रखने वाले संस्थानों को दूर रखें। केवल महिलाओं व केवल पुरूषों के संस्थानों को अलग प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। समुदाय से पूछें कि क्या कोई ऐसे संस्थान हैं जिसमें गरीब व्यक्ति भाग नहीं ले सकते ऐसे संस्थानों को चिन्हित करें।

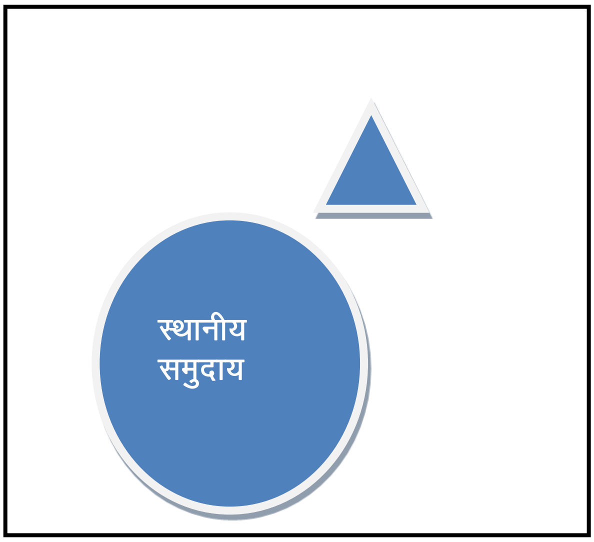

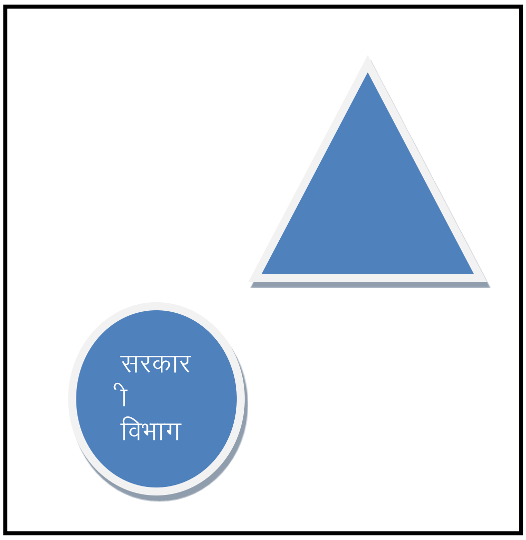

उपरोक्त संरचनायें समाज में विभिन्न संगठनों/संस्थानों की उपस्थिति एवं उनकी सत्ता/महत्व को दर्शाती हैं। गोल आकृति समाज में किसी व्यक्ति/संगठन की उपस्थिति एवं त्रिकोण उसकी सत्ता/महत्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिये समुदाय में लोगों की संख्या अधिक होती है परंतु उनके पास सत्ता कम होती है परंतु सरकारी विभागों में लोगों की संख्या कम होने के बाद भी उनकी सत्ता/महत्व अधिक होता है। इसी तरह से समुदाय में विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों के महत्व को दर्शाया जा सकता है।

5.अर्ध–संरक्षित साक्षात्कार

अर्ध–संरक्षित साक्षात्कार का उद्देष्य चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार विशेष के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक परिवार की गहन जानकारी प्राप्त करने के लिये अर्ध–संरक्षित साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। अर्ध–संरक्षित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास यह स्वतंत्रता रहती है कि वह समुदाय के द्वारा बताई गईउन सभी महत्वपूर्ण बातों को

नोट कर सके जिनको कि वह महत्वपूर्ण मानता है। इस गतिविधि को करने से साक्षात्कारकर्ता द्वारा कुछ प्रश्नों को तैयार कर लिया जाना चाहिये। जिनके आधार पर वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। इन प्रश्नों का प्रारूप स्थान विशेष की परिस्थितियों और साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है।

6.समूह चर्चा

समूह चर्चा के माध्यम से ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिये भी समूह चर्चा का माध्यम चुना जा सकता है। समूह चर्चा के द्वारा हम कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही यह भी जान सकते हैं कि किसी परियोजना/कार्यक्रम/समूह/संगठन के बारे में समुदाय की राय क्या है। समूह चर्चा के बाद समुदाय के साथ कार्य करने हेतु योजना बनाने में आसानी हो जाती है।

7. अनुप्रस्थ भ्रमण

अनुप्रस्थ भ्रमण गांव में संसाधनों की विविधता, भूमि उपयोग, तथा सामाजिक रूप से स्थापित आवासों की स्थिति जानने आदि के लिये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसके द्वारा कम समय में भौगोलिक और ऐतिहासिक जानकारी को उजागर करने के साथ ही ग्राम पंचायत में कृषि भूमि की स्थिति, फसलों का प्रकार, भूमि उपयोग, वनों की स्थिति, जल संसाधन आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अनुप्रस्थ भ्रमण शुरू करने से पहले टीम को समुदाय के साथ बैठकर अनुप्रस्थ भ्रमण का मार्ग तय कर लेना चाहिये साथ ही अनुप्रस्थ भ्रमण के लिये समुदाय में से ऐसे सदस्यों का चयन कर लिया जाना चाहिये जो गांव, उसकी पृष्ठभूमि व उसके संसाधनों के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकें।

कार्ययोजना के निर्माण के समय उपरोक्त में से कुछ या सभी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है।

अनुलग्नक– 3

विभिन्न रेखीय विभागों/योजनाओं का विवरण

कृषि विभाग

1 नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नालाजी

2. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर

→

- कृषि एंवं किसान कल्याण मंत्रालय
- जिला कृषि अधिकारी
- खंड विकास अधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (कृषि)
- नियोजन एवं विकास समिति

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

1.महिला समूहों का निर्माण

2.समूहों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण

3.समूहों को रोजगार स्थापित करने में मदद करना एवं तैयार सामग्री के विपणन हेतु व्यवस्था करना

→

- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- जिला कमिश्नर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
- खंड विकास अधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (आई.एस.बी)
- नियोजन एवं विकास समिति

मत्स्य पालन विभाग

1.नये तालाबों/टैंकों का निर्माण

2.मछुआरों के लिये आवास योजना

3.मछुआरों के लिये पेयजल सुविधा

4.सामुदायिक भवन का निर्माण

5.मछली आहार हेतु लघु फीड मिल की स्थापना

6.मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना

7.मौजूदा तालाबों/टैंकों का नवीनीकरण

8.नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम

9.ताजा जल मछली पालन

10.मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना

→

- कृषि एंवं किसान कल्याण मंत्रालय
- खंड विकास अधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (कृषि)
- नियोजन एवं विकास समिति

उद्यान विभाग

1. हाइटेक/छोटी पौधशाला की स्थापना
2. सब्जी व मसाला बीज उत्पादन
3. मशरूम उत्पादन इकाई
4. संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस)
5. पाली हाउस में सब्जी/फूल उत्पादन

→

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- जिला उद्यान निदेशक
- खंड विकास अधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (कृषि)
- नियोजन एवं विकास समिति

स्वच्छ भारत मिशन

1. ग्राम स्तर पर शौचालयों का निर्माण
2. ग्राम को स्वच्छ रखने हेतु समुदाय को प्रेरित करना

→

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
- जिला पंचायत राज अधिकारी
- खंड विकास अधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)
- निर्माण कार्य समिति

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

1.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
2.उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
3.विपणन सहायता

→

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय
- निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

लीड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान

1. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूहों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

→

- वित्त मंत्रालय
- निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

1. ग्राम स्तर पर चयनित स्वंयसेवकों के माध्यम से
2. ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन

→

- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- निदेशक नेहरू युवा केन्द्र संगठन
- विकासखंड समन्वयक
- स्वयंसेवक

वन विभाग

1. सामाजिक वानिकी
2. नेशनल प्लान फॉर कन्जर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम

→

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- प्रभागीय वनाधिकारी
- वन क्षेत्रपाल

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

1. युवाओं हेतु विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का संचालन

→

- उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय
- संबंधितसंस्थान के अधिकारी/ कर्मचारी

नोट –उपरोक्त योजनाओं का विवरण जनपद वाराणसी, उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के आधार पर दिया गया है।

अनुलग्नक– 4

जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास हेतु ग्राम स्तरीय नियोजन प्रपत्र

DIGITAL MICROPLANNING FOR BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VILLAGES ALONG GANGA RIVER
गंगा नदी के किनारे स्थित ग्रामो मे जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र

Part A Village Information
भाग (अ) गांव की जानकारी

1 Village Geography गाँव की भौगोलिक जानकारी>>

Census Code जनगणना कोड		State राज्य		Village name गांव का नाम		District जिला	
Taluka/ Tehsil तालुका/ तहसील		Pincode पिनकोड		Block विकासखंड		Panchayat पंचायत	
Latitude अक्षांश		Longitude देशान्तर		Climate जलवायु		Total area of the village (In sq.km.) गांव का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी)	
Distance of the village from Ganga River (In Km) गंगा नदी से गांव की दूरी (कि0मी)		Humidity नमी		Temperature range (In °C) तापमान (डिग्री °C)		Amount of rainfall (In mm) वर्षा की मात्रा (मि0मी)	
No. of ghats present (In any) घाटों की सं0 (यदि है)		Deatils of ghats घाटों का विवरण					

Contact person संपर्क व्यक्ति	Name नाम	Mob.No मो॰न॰	Email ID ईमेल आईडी	Address पता
Village pradhan ग्राम प्रधान				
Block Development Officer खंड विकास अधिकारी				
District Administration Address (CDO) ज़िला प्रशासन का पता (सी डी ओ)				
Ganga Prahari गंगा प्रहरी				

Relevant photograph सहायक फोटोग्राफ — Choose file No file chosen — Upload अपलोड

Important Contact Details/ महत्वपूर्ण संपर्क विवरण>>

	Status स्थिति	Name नाम	Distance from River (In Km) गंगा नदी से दूरी (कि0मी0)
Tributaries सहायक नदियां	◉Yes हाँ ○No नही		
Canal नहर	◉Yes हाँ ○No नही		
Dam बांध	◉Yes हाँ ○No नही		
Barrage बैराज	◉Yes हाँ ○No नही		
Check Dam चैकडैम	◉Yes हाँ ○No नही		

2 Village Demography सामाजिक जानकारी >>

No.of household कुल परिवारों की संख्या		Caste जाति	
No. of literate male कुल शिक्षित पुरूष की संख्या		No. of literate female कुल शिक्षित महिलायें की संख्या	
Total population of the village गाँव की कुल जनसंख्या		Males पुरूष / Females महिलायें / Transgender ट्रांसजेंडर	
No. of households with agriculture land कृषि भूमि वाले परिवारों की संख्या		No. of households without agriculture land कृषि भूमिहीन वाले परिवारों की संख्या	
Relevant photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen Upload अपलोड !		

4 Occupation/ व्यवसाय >>

Occupation व्यवसाय	No. of families involved परिवारों की सं0	Occupation व्यवसाय	No. of families involved परिवारों की सं0	Occupation व्यवसाय	No. of families involved परिवारों की सं0
Animal husbandry पशुपालन		Fishing मछली पालन		Business बिजनेस	
Agriculture कृषि		Riverbed agriculture नदी किनारे कृषि		Industry उद्योग	
Religious activities धार्मिक कार्य		Govt./ Pvt. jobs सरकारी/प्राइवेट नौकरी		Boating नौकायन	
Agriculture labourer कृषि श्रमिक					
Others अन्य					
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen Upload अपलोड				

5. Sources of Drinking Water पेयजल एंव स्वच्छता सुविधायें >>

Tubewell (In no.s) ट्यूबवेल सं0		Handpump (In no.s.) हैंडपंप सं0		Well (In no.s.) कुंआ सं0		Pipeline (In no.s.) पाइपलाइन सं0	
Natural springs प्राकृतिक स्रोत				Relevant Photgraph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen Upload अपलोड		

6. Village Hygeine and Sanitation Details स्वच्छता सुविधायें>>

No. of toilets शौचालयों की सं0		Total no. of household without toilets शौचालय रहित परिवारों की सं0		Functional condition (In %) शौचालय प्रयोग की स्थिति (% मे)		Department/ Scheme Involved विभाग/ योजना का नाम	
Place of Defeacation (If no toilets) शौचालय प्रयोग न करने की दशा में शौच हेतु स्थान	Fields खेत Nearby Road सड़क Nearby Railway Track रेल पटरी के पास Nearby River Bank नदी के किनारे Foret Area वन क्षेत्र	Mention if others अन्य		Reason for not using toilets शौचालय प्रयोग न करने का कारण	No toilet शौचालय नही है Lack of awareness जागरूकता की कमी Traditional thinking रूढ़िवादी सोच Mental block मानसिकता Toilet being used in different purpose शौचालय का प्रयोग अन्य कार्य हेतु करना	Others अन्य	
Cleanliness in the village गाँव में स्वच्छता की स्थिति	High उत्तम Moderate मध्यम	No. of dustbin in the village		Cleanliness on the Ghats	High उत्तम Moderate	No. of dustbins on ghats घाट में	

	Low खराब	गाँव में कूड़ेदानों की संख्या		घाट स्वच्छता की स्थिति	मध्यम Low खराब	कूड़ेदानों की संख्या
Waste dumping/collection कूड़ा एकत्रीकरण की विधि/ स्थान		Waste management कूड़ा निपटान की विधि	Composting खाद बनाना; Recycling रिसाइक्लिंग; Burning जलाना; Fermentation फर्मन्टेशन; Landfills लैंडफिल; None कुछ नहीं			
Contact of organisation for waste management process कचरा प्रबंधन करने वाली संस्थाओ का विवरण						
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen	Upload अपलोड				

7. Basic Amenities बुनियादी एंव संचार सुविधांयें >>

	Accessible उपलब्धता	Status/Type/Nos	Name नाम	Distance from village (Km) गाव से दूरी (किमी)
Road network सड़क यातायात	Yes हाँ No नहीं			
Railway network रेलवे यातायात	Yes हाँ No नहीं			
Bus network बस यातायात	Yes हाँ No नहीं			
Prmiary Hospital प्राथमिक चिकित्सालय	Yes हाँ No नहीं			
Bank बैंक	Yes हाँ No नहीं			
Post Office डाक घर	Yes हाँ No नहीं			
Police Station पुलिस स्टेशन	Yes हाँ No नहीं			
Public Distribution System सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	Yes हाँ No नहीं			
Chemist/ Pharmacy Shop मेडिकल स्टोर	Yes हाँ No नहीं			
Radio, Telephone, Mobile Network रेडियो, टेलिफोन, मोबाइल नेटवर्क	Yes हाँ No नहीं			
Anganbadi आंगनबाड़ी केन्द्र	Yes हाँ No नहीं	---No. of Student छात्रों की संख्या ----		
Primary School प्राथमिक विद्यालय	Yes हाँ No नहीं	---No. of Student छात्रों की संख्या----		
HighSchool School माध्यमिक विद्यालय	Yes हाँ No नहीं	---No. of Student छात्रों की संख्या----		
Intermediate School उच्चतर माध्यमिक विद्यालया	Yes हाँ No नहीं	---No. of Student छात्रों की संख्या----		
Degree College स्नातकोत्तर महाविद्यालय	Yes हाँ No नहीं	---No. of Student छात्रों की संख्या----		

Type of fuel खाना पकाने का स्रोत	No. of Family Involved प्रयोग करने वाले परिवारों की सं (%)	Source स्रोत
Wood लकड़ी		
Kerosene केरोसिन		
LPG		

कुकिंग गैस		
Solar System सौर उर्जा	▼	
बिजली	▼ (If renewable) Solar सौर, Wind वायु, Hydro जल, Nuclear न्यूक्लियर, Bio-Gas बायोगैस	Name of department/organisation/schemes involved सम्मिलित संस्थाओ विभागो एयवम योजनाओ का नाम
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen	Upload/ अपलोड

8. Agriculture, Livestock and Fisheries कृषि, आजीविका एवं मत्स्य पालन >>

Agriculture कृषि	Agriculture land (Hectare) कृषि भूमि (हेक्टेयर मे)		Livestock पशुपालन	No. of livestock पशुओ की स°	
	Type of agriculture कृषि का प्रकार	Organic जैविक / Inorganic अजैविक		Type of fodder चारा का प्रकार	
	Crops grown उगाई जाने वाली फसले				
	Source of insecticides/pesticides कीटनाशको दवाओ के स्रोत			Source of fodder चारे का स्रोत	
	Type of insecticides/pesticides used कीटनाशक दवाओ के प्रकार			Market बाजार	
	Type of fertilizers उर्वरको के प्रकार		Fisheries मत्स्य पालन	Area covered for fishing मत्स्य पालन हेतु क्षेत्रफल	
	Source of fertilizers उर्वरको के स्रोत			No. of fishes caught per day मछली मारने की संख्या (प्रतिदिन)	
	Vermicomposting वर्मी कंपोस्ट	Yes हाँ / No नहीं		Type of fish caught मारे जाने वाली मछलियो के प्रकार	
	Source of irrigation सिचाई के स्रोत			Type of net used जाल का प्रकार (विवरण)	
	Agriculture productivity per hectare कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर			Market बाज़ार	
	Market बाजार				
Riverbed Agriculture नदी किनारे कृषि	Total area (Hectare) कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)				
	Crops grown फसल उत्पादन				
	Season मौसम				
	NO. of household involved सम्मिलित परिवारों की संख्या				
	Agricultural productivity कृषि उत्पादकता				
	Market बाज़ार				

9. Biodiversity of the village गांव की जैव विविधता >>

Type of Vegetation वनस्पति का प्रकार	Forest वन, Grass land चारागाह, Agriculture कृषि भूमि, Other अन्य		
Nearby Protected area नजदीकी संरक्षित क्षेत्र		Area of Forest Cover कुल वन क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
Ownership of the Forest Resources वन का प्रकार /स्वामित्व	▼ Panchayat आरक्षित पंचायत, Forets deptt वन विभाग, Community based सामुदायिक	Any Afforestation Activities Present क्या कोई वृक्षारोपण संबंधी गतिविधि चल रही है	*
Details of the Afforestation Activities (Conducted by whom, time of the year, species planted) वृक्षारोपण गतिविधि का विवरण			
If Sacred Groves Present	Yes हाँ / No नहीं	Description of Scared	

क्या कोई पवित्र उपवन है		Groves (Reasons for its sacredness, which community) पवित्र उपवन का विवरण	
List of Terrestrial Species स्थलीय प्रजातियाँ की सूची		List of Aquatic Species जलीय प्रजातियों की सूची	
Threats to the biodiversity जैव विविधता ह्रास के कारण	☐Habitat loss आवास विखंडन ☐Over Exploitation अति दोहन ☐Scrub land साफ़ भूमि ☐Agriculture खेत ☐Pollution प्रदूषण ☐Invasive Species हमलावर नस्ल ☐Deforestation वनों का कटान ☐Habitat Fragmentation वास विखंडन ☐Desertification बंजर ☐Poaching अवैध शिकार ☐ Developmental activity विकास कार्य ☐Climate change जलवायु परिवर्तन ☐Other अन्य	Are there Any Wetlands क्या कोई आर्द्रभूमि है	◉Yes हाँ ○No नहीं
Name of the Wetland आर्द्रभूमि का नाम		Total Area of the Wetland कुल आर्द्रभूमि (क्षेत्रफल)	
Wetland (Natural or Artificial) आर्द्रभूमि (प्राकृतिक कृत्रिम)	◉Natural प्राकृतिक ○Artificial कृत्रिम	Type of Wetland आर्द्रभूमि के प्रकार	▼
Status of Water in the Wetland आर्द्रभूमि मे जल की स्थिति	◉Annual वार्षिक ○Seasonal मौसमी	Aquatic Species Found in the Wetland आर्द्रभूमि मे पाये जाने वाले जलीय जीव	
Protection Status of the Wetland आर्द्रभूमि की संरक्षण स्थिति		Ownership of the Wetland आर्द्रभूमि का स्वामित्व	
If Any Biodiversity Management Committees (BMCs) Present यदि वर्तमान मे कोई जैव विविधता समिति बनी है तो उसका विवरण	◉Yes हाँ ○No नहीं	Status परस्थिति	◉Active सक्रिय ○Inactive निस्कृया
Frequency of meetings बैठको की आवृत्ति		Name of BMCs बीएमसी क नाम	
Contact Details of BMCs बीएमसी के संपर्क का विवरण		Total no. of males in BMCs बीएमसी मे पुरुषों की संख्या	
Total no. of females बीएमसी मे महिलाओं की संख्या		Activities Conducted by BMCs बीएमसी द्वारा आयोजित गतिविधिया	
Other Programmes working in Biodiversity Conservation जैव विविधिता संरक्षण हेतु संचालित अन्य कार्यक्रम		Total No. of Members in the Organization कुल सदस्यों की संख्या	
Contact Information of the Implementing Agency क्रियान्वयन एजेंसी की संपर्क सूचना			
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen Upload अपलोड		

10. Dependence on Ganga River / गंगा नदी पर निर्भरता >>

Activities (Direct Dependence) गतिविधियां (प्रत्यक्ष निर्भरता)		Activities (indirect Dependence) गतिविधियां (अप्रत्यक्ष निर्भरता)	

Purpose उद्देश्य	Status स्थिति	Details (water used, No. of family involved etc) विवरण	Taxable
Irrigation Purpose सिंचाई हेतु	◉Yes हाँ ○No नहीं		◉Yes हाँ ○No नहीं
Livestock Purpose पशुपालन हेतु	◉Yes हाँ ○No नहीं		◉Yes हाँ ○No नहीं
Domestic purpose घरेलू कार्य हेतु	◉Yesहाँ ○No नहीं		◉Yes हाँ ○No नहीं
Riverbed Agriculture नदी के किनारे की भूमि हेतु	◉Yes हाँ ○No नहीं		◉Yes हाँ ○No नहीं
Industrial Purpose औद्योगिक हेतु	◉Yes हाँ ○No नहीं		◉Yes हाँ ○No नहीं

Contact Details of the Industry क्रियावान औद्योगिक की संपर्क सूचना	
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen Upload अपलोड

11. Community Based Institution समुदाय आधारित संस्थाएं>>

Status स्थिति	Members involved सदस्य	Status स्थिति	Primary Focus प्राथमिक फोकस	Target Group लक्ष्य समूह	Details of contact person संपर्क विवरण
SHG's स्वयं सहायता समूह		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
Mahila Mangal Dal महिला मंगल दल		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
Yuva mangal Dal युवा मंगल दल		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
Anganbadi आंगनबाड़ी		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
Yuva Sangthan युवा संगठन		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
Aasha आशा		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
Village level Committee ग्राम स्तरीय समिति		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
(If Others अन्य)		Active सक्रिय Inactive निष्क्रिय			
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen	Upload अपलोड			

12. Interdepartmental Scheme अंतर्विभागीय योजनाएं>>

Departments विभाग	Schemes योजनाएं	Others Scheme अन्य संबन्धित योजनाएं	Nos. Beneficiary लाभार्थियों की संख्या
Agriculture कृषि	National Mission on Agriculture Extension and Technology नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटैन्शन एंड टेक्नालॉजी National Mission for Sustainable Agriculture नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
National Rural Livelihood Mission राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	Formation of women self help groups स्वयं सहायता समूह का गठन Strengthening and training of SHG स्वयं सहायता समूह का सुद्दढीकरण एवं प्रशिक्षण' To help the SHG's in establishing small business and marketing स्वयं सहायता समूह को लघु उद्योग स्थापित करने एवं विपणन में सहायता		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Fisheries मत्स्य पालन	Construction of new ponds/tanks नये तालाबों/ टैंको का निर्माण Construction of houses for fisherman मछ्वारों के लिए आवास निर्माण Drinking water facility for fisherman मछ्वारों के लिए पेयजल व्यवस्था Construction of community Hall सामुदायिक भवन का निर्माण Establishment of small feed mills for fish feed मत्स्य आहार हेतु लघु आहार मिल Establishment of fish feed rearing unit मत्स्य पालन ईकाई की स्थापना		OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी

	Upgrading of existing pond/tanks मौजूदा तालाबों/टैंको का नवीनीकरण Awareness programme for conservation of fish in the rivers नदी की मत्स्य संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम Fresh water fisheries ताज़ा जल मछली पालन		
Horticulture Deptt उद्यान विभाग	Hi-tech nursery establishment हाइटेक नर्सरी की स्थापना Production of vegetable and spices सब्ज़ी एवं मसाला उत्पादन Mushroom production unit मशरूम उत्पादन ईकाई Protected farming (greenhouse) संरक्षित कृषि (ग्रीनहाउस)		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Soil Conservation भूमि संरक्षण विभाग	Field pond scheme खेत तालाब योजना Deen Dayal Upadhayay kisan samridhi yojana दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Swachh bharat Mission स्वच्छ भारत मिशन	Construction of toilet at village lavel ग्राम स्तर पर शौचालय Motivate Community to keep the village clean समुदाय को गाँव की स्वछता हेतु प्रेरित करना		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Khadi and Village industry Deptt. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	Entrepreneurship development training programme उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम PM employment generation programme प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम Marketing support विपणन सहयोग		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Lead Bank RSETI लीड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान	To train SHG's formed under SRLM राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित समूह को प्रशिक्षित करना Traininging to rural youth for self employment ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Nehru Yuva kendra Sangthan नेहरू युवा केंद्र संगठन	Conduct awareness programme through volunteer selected at village lavel ग्राम स्तर पर चयनित स्वयंसेवकों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	Conduct Training Programme to develop skills of rural youth ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन		General सामान्य OBC ओबीसी SC एससी ST एसटी
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen Upload अपलोड		

13. Stakeholders हितधारक >>

Type प्रकार	Stakeholders हितधारक	Details जानकारी	Role in Conservation of Ganga River गंगा नदी के संरक्षण मे भूमिका
Primary प्राथमिक	Local community स्थानीय समुदाय		

Secondary द्वितीयक	District Administration जिला प्रशासन		
	Non-Governmental Organizations गैर सरकारी संस्थान		
	Block and village level departments विकासखंड एवं ग्रामस्तरीय विभाग		
	Schools/Colleges स्कूल/कॉलेज		
Tertiary तृतीयक	Funding Agencies दानदाता संस्थाए		
	National level Authorities राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी		
	International institutions अंतर्राष्ट्रीय संस्थान		
	Opinion Leaders विचारवान नेतृत्व		
	Media मीडिया		
Relevant Photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose file No file chosen	Upload अपलोड	

Save and Continue to Part B संचय करे और भाग बी मे जाये >>

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

नमामि गंगे

Annexure - 4(B)
अनुलग्नक - 4 (ब)

DIGITAL MICROPLANNING FOR BIODIVERSITY CONSERVATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VILLAGES ALONG GANGA RIVER
गंगा नदी के किनारे स्थित ग्रामो मे जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास हेतु ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन प्रपत्र

Part B Problem Analysis and Planning
भाग (ब) समस्या विश्लेषण एवं नियोजन

1. Problem Analysis समस्या विश्लेषण

Departments विभाग	Schemes योजनाएं	Details विवरण	Departments विभाग	Schemes योजनाएं	Details विवरण
Pollution प्रदूषण	Lack of waste management system अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था न होना		Violation of government rules and regulations सरकारी नीतियो का उल्लंघन	Overexploitation of natural resources प्राकृतिक संसाधनो का अत्यधिक दोहन	
	Lack of awareness जागरूकता का अभाव			Hunting and poaching अवैध शिकार	
Dependence of Local Communities स्थानीय समुदाय की निर्भरता	Livelihood Issues आजीविका की समस्या संबंधी			use of improper fishing net अनुचित जाल का प्रयोग	
	Lack of Awareness जागरूकता का अभाव		Weak Implementation of the government policies सरकारी नीतियो का क्रियान्वयन न होना	Lack of monitoring अनुश्रवण की कमी	
	Lack of Employable Skills अन्य कौशल की कमी			Weak enforcement and execution of penalities दंड व्यवस्था का प्रभावी ना होना	
Relevant photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose File No file chosen	Upload / अपलोड ! Max^{m} 5 photographs can be uploaded / अधिकतम 5 छायाप्रतिया अपलोड करें			

2. Strategic Plans रणनीतिक योजनाएं

Schemes/ योजनाएं	Activity गतिविधि	Target Group लक्ष्य समूह	Purpose उद्देश्य	Intitutions/Organisations to be involved सम्मिलित संस्थाओ/ विभागो का नाम	Upload Image अपलोड
Community Awareness सामुदायिक जागरूकता	Meeting बैठक; Workshops कार्यशाला; Training प्रशिक्षण; Streetplay नुक्कड़ नाटक; Information about schemes योजनाओं की जानकारी; Campaign अभियान; Rally/Drives रैली; Competitions प्रतियोगिता				Beforeपहले After बाद में; Choose File No file chosen; Upload अपलोड
Sanitation and Hygiene स्वच्छता संबंधी गतिविधियां	Complete ODF's सम्पूर्ण ऑडीएफ; Solid/Liquid waste management कचरा प्रबंधन; Awareness on construction and use of Toilet शौचालय निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूकता; Dustbin installation कूड़ादान स्थापना; Trainings प्रशिक्षण; Meetings बैठक; Cleanliness campaign स्वछता अभियान				Before पहले After बाद में; Choose File No file chosen; Upload अपलोड
Renewable Energy नवीकरणीय ऊर्जा	Awareness on renewable energy sources नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों हेतु जागरूकता; Linkage with concerned Institutions/deptt. संबंधित				Before पहले After बाद में; Choose File No file chosen; Upload अपलोड

	विभाग के साथ लिंकेज Training on use of renewable source of energy नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण				
Agriculture कृषि	Awareness on organic Farming जैविक कृषि हेतु जागरूकता Awareness and training on Vermi Composting वर्मीकम्पोस्ट पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण Awareness on Horticulture औद्यानिकी पर जागरूकता Awareness on Bee keeping मधुमक्खी पालन पर जागरूकता Linking with concerned deptt. संबंधित विभागों के साथ लिंकेज Information on scheme related to organic farming जैविक कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी Training on advance agricultural practices and agroforestry उन्नत कृषि एयवम कृषि वानिकी प्रशिक्षण				Before पहले After बाद में Choose File No file chosen Upload अपलोड
Biodiversity Conservation जैव विविधता संरक्षण	Revival/Formation of Biodiversity Management Committee जैव विविधता संरक्षण समितियों का पुनर्जीवित / गठन करना Training on conservation of Local Biodiversity स्थानीय जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रशिक्षण Awareness on local biodiversity स्थानीय जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण हेतु जागरूकता Training of Ganga Praharis on rescue and rehabilitation of aquatic species जलीय जीवो के बचाव एवं पुनर्वास पर गंगा प्रहिरियों का प्रशिक्षण				Before पहले After बाद में Choose File No file chosen Upload अपलोड
Livlihood and skill development आजीविका एंव कौशल विकास	Skill Development Training for Women and Youth महिलाओं एंव युवाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण Market linkage मार्केट लिंकेज Linkage with Concerned Deptts. संबंधित विभागों के साथ लिंकेज Information on various schemes related to skill development विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना Meeting बैठक				Before पहले After बाद में Choose File No file chosen Upload अपलोड
Community based institution समुदाय आधारित संस्थायें व उनका योगदान	Formation/ Revival of SRLM and village level Committee ग्राम स्तरीय समितियों को गठन / पुनर्जीवित करना Training of Ganga prahari गंगा प्रहरियों का प्रशिक्षण Strengthening of Community Based Institution समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण Motivate and trained members towards biodiversity conservation जैव विविधता सारंक्षण हेतु सदस्यों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित करना Include biodiversity conservation goals in the mandate of the institutions समूह के उद्देश्यों एवं कार्यो मे जैव				Before पहले After बाद में Choose File No file chosen Upload अपलोड

6

	विविधता सारंक्षण को शामिल करना ☐Encourage participation of marginalized communities in the institution and its various activities सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो को समूह मे शामिल करना				
Animal Husbandary पशुपालन	☐Vaccination Camps पशु टीकाकरण शिविर ☐Awareness on schemes of animal husbandary पशुपालन योजनाओं की जानकारी प्रदान करना ☐Orientation to other animal husbandary interventions अन्य पशुपालन कार्यक्रमों पर जानकारी ☐Linkage with concerned deptts. संबंधित विभागों के साथ लिंकेज ☐Information on high productivity breed, high nutrient fodder etc उन्नत नस्ल एवं पौष्टिक चारे के विषय मे जानकारी प्रदान करना ☐Pisciculture मत्स्य पालन				○Before पहले ○After बाद में Choose File No file chosen Upload अपलोड
Fisheries मत्स्य पालन	☐Awareness on use of propoer fishing gears मछली पकडने के उचित गियर पर जागरूकता ☐Awareness on conservation status of fish diversity मत्स्य विविधता व उसके संरक्षण स्थिति पर जागरूकता ☐Awareness on rules and regulation of fishing मत्स्य दोहन के नियमों पर जानकारी ☐Linkage with fisheries deptt. for pisciculture. मत्स्य विभाग के साथ लिंकेज				○Before पहले ○After बाद में Choose File No file chosen Upload अपलोड
Relevant photograph सहायक फोटोग्राफ	Choose File No file chosen Upload अपलोड Max^{m} 5 photographs can be uploaded अधिकतम 5 फोटो अपलोड करें				

View देखें

Back to Part - A वापिस भाग ए मे जाये

अनुलग्नक– 5

रणनीतिक योजनाओं के प्रभाव के आकलन हेतु सूचक

क्रम सं0	रणनीतिक योजना	श्रेणी	सूचक	अक (महत्व के आधार पर)	सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति
1	**सामुदायिक जागरूकता**	शौचालय निर्माण एव उपयोग पर जागरूकता	• शौचालय उपयोग (%)		
			• सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या		
		अपशिष्ट प्रबन्धन पर जागरूकता	• कूड़ेदान का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत		
			• निर्दिष्ट स्थान पर कूड़ा डालने वाले परिवारों का प्रतिशत		
		सामुदायिक प्रतिभागिता	• स्थानीय समुदाय/ समुदाय आधारित संस्थाओं के द्वारा की गई स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियां		
		शिक्षा	• गांव में साक्षरता का प्रतिशत		
			• महिला साक्षरता (%)		
			• पुरूष साक्षरता (%)		
			• गंगा के संरक्षण एव स्वच्छता हेतु विद्यालय द्वारा की गई गतिविधियां		
		पंचायत बैठकें	• बैठकों में वार्ड सदस्यों एवं समुदाय की प्रतिभागिता (%)		
			• बैठकों में महिलाआ एव सीमान्त समुदाय के सदस्यों की प्रतिभागिता (%)		
		वैकल्पिक ऊर्जा पर जागरूकता	• वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर जागरूकता		
			• वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करने वाले परिवारों की संख्या		
		जैव विविधता संरक्षण पर जागरूकता	• गंगा के जलीय जीवों के संबंध में जागरूकता		
			• जलीय जीवों के महत्व पर जागरूकता		
			• पक्षियों एंव कछुओं के घोसलें के स्थानों के संबंध में जागरूकता		

2	**समुदाय आधारित संस्थायें**	समुदाय आधारित संस्थाओं की उपस्थिति	• स्थानीय समुदाय की प्रतिभागिता (%)		5 GENDER EQUALITY; 10 REDUCED INEQUALITIES; 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES; 13 CLIMATE ACTION; 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS; 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
			• महिलाओं की प्रतिभागिता (%)		
			• सीमान्त समुदाय की प्रतिभागिता (%)		
		नियमानुसार गतिविधियों का संपादन	• संस्था के नियमों के अनुसार गतिविधियों का संचालन		
			• बैठकों एवं गतिविधियों की आवृति		
		योजनाओं का कियान्वयन	• कियान्वित योजनाओं की संख्या		
3	**आजीविका एवं कौशल विकास**	योजनाओं का कियान्वयन	• कियान्वित योजनाओं की संख्या		1 NO POVERTY; 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING; 4 QUALITY EDUCATION; 5 GENDER EQUALITY
		पशिक्षण केंद्रों की स्थापना	• लाभन्वित परिवारों की संख्या		
			• महिलाओं का प्रतिनिधित्व (%)		
			• सीमान्त समुदाय का प्रतिनिधित्व (%)		
			• पशिक्षणों की आवृति		
			• गांव के प्रशिक्षुओं हेतु आजीविका के अवसर		8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH; 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE; 10 REDUCED INEQUALITIES; 13 CLIMATE ACTION; 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
			• मार्केट लिंकज		
4	**स्वच्छता**	शौचालय निर्माण एव उपयोग	• शौचालय वाले परिवारों का प्रतिशत		6 CLEAN WATER AND SANITATION
			• शौचालय उपयोग करने वाले परिवारा का प्रतिशत		
			• सार्वजनिक शौचालयों की संख्या		
		अपशिष्ट प्रबन्धन	• गांव में कूड़ादानों की संख्या		
			• घाट में कूड़ादानों की संख्या		
			• कूड़ा एकत्रीकरण की आवृति		
			• अपशिष्ट पृथक्करण की		

			सुविधा		3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
			• कूड़ा फेंकने के स्थान एव नदी के बीच दूरी		
			• गांव में अपशिष्ट प्रबन्धन की सुविधा		
			• अपशिष्ट निस्तारण के स्थान एव नदी के बीच दूरो		
			• कर्मचारियों की संख्या/कार्य दिवस/ कार्य स्थल/		
5	**वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत**	ईंधन हेतु लकड़ी पर निर्भरता	• ईंधन हेतु लकड़ी/गोबर पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत		7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
			• ईंधन हेतु लकड़ी का स्रोत (नदी/खेत/वन)		
			• वैकल्पिक ऊर्जा उपकरण/सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत		
		वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों तक पहुंच	• वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत		
			• उपयोग किय जा रहे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का प्रकार		
			• कियान्वित योजनाओं की संख्या		
6	**जैव विविधता संरक्षण**	जैव विविधता संरक्षण हेतु की जा रही गतिविधियां	• स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षण हेतु की गई मासिक गतिविधियां (वनीकरण , जागरूकता, स्वच्छता आदि)		12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 13 CLIMATE ACTION 14 LIFE BELOW WATER 15 LIFE ON LAND 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
		गंगा नदी पर निर्भरता	• गंगा नदी पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत		
			• कृषि/नदी किनारे की कृषि पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत		
			• पशुपालन पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत		
		जैव विविधता प्रबन्धन समिति की उपस्थिति	• स्थानीय समुदाय की प्रतिभागिता		
			• जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित बैठकें		
			• नियमानुसार बैठकों का आयोजन		
			• वन विभाग के सहयोग से की गई बचाव गतिविधियां		
7	**कृषि**	जैविक कृषि का प्रयोग	• जैविक कृषि भूमि का प्रतिशत		
			• सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत		

			• कीटनाशक का प्रयोग करन वाले परिवारों की संख्या insecticides		
		सरकारी योजनाओं का कियान्वयन	• सतत एंव जैविक कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं का कियान्वयन		
8	**पशुपालन**	चारे का स्रोत	• चारे के लिये आसपास की वनस्पति एव वनों पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत		
		उन्नत नस्ल	• उन्नत नस्ल का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत		
			• पशु टीकाकरण शिविरों की आवृति (Frequency)		
9	**मत्स्य पालन**	मछली के शिकार पर निर्भरता	• मछली के शिकार पर निर्भर परिवारों का प्रतिशत		
		मछली पकड़ने के उचित जाल का प्रयोग	• मछली पकडने के उचित जाल का प्रयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत		
		मत्स्य पालन की संभावना	• मत्स्य पालन करने के इच्छुक परिवारों का प्रतिशत		

*** स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त रणनीतिक योजनाओं एवं सूचकों में परिवर्तन किया जा सकता है।**

टिप्पणी

टिप्पणी

NMC

National Mission for Clean Ganga, Ministry of WaterResources, River Development and Ganga Rejuvenation

GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Chandrabani,
Dehradun 248001
Uttarakhand

नमामि गंगे

www.wii.gov.in/national_mission_for_clean_gang

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India